 CIN : U91110RJ1961SGC001118

दि राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लि.

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

पंजीकृत कार्यालय: उद्योग भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302005

59 वाँ वार्षिक प्रतिवेदन

2019-2020

06 नवंबर 2020 को निदेशक मण्डल

श्री नरेश पाल गंगवार
अध्यक्ष

डॉ. समित शर्मा
प्रबन्ध निदेशक

श्री पी. रमेश
अतिरिक्त निदेशक

श्री आशुतोष ए.टी. पेडणेकर
अतिरिक्त निदेशक

श्रीमती अर्चना सिंह
निदेशक

श्री अजय असवाल
निदेशक

सीएओ
डॉ. आकाश आल्हा

विशेषाधिकारी
श्री दिनेश सेठी

कम्पनी सचिव
श्री पी.के. जैन

वैधानिक लेखा परीक्षक

मैसर्स बाफना एण्ड ऐसोसिएट्स्
चार्टड एकान्टेन्टस्, जयपुर

बैंकर्स

बैंक ऑफ बड़ौदा
आई.सी.आई.सी.आई. बैंक लि., जयपुर

पंजीकृत कार्यालय :

दि राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लि.

उद्योग भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर - 302005 (राज.)

फोन : 0141-2227079 फैक्स - 0141-2227257

वेब साईट : www.industries.rajasthan.gov.in/rajsico, ई-मेल : rajsico@rajasthan.gov.in

CIN : U91110RJ1961SGC001118

CIN : U91110RJ1961SGC001118

दि राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लि.

विषय सूची

01	59वीं वार्षिक साधारण सभा का नोटिस	01–03
02	निदेशकों का प्रतिवेदन	04–18
03	अंकेक्षकों की रिपोर्ट	19–37
04	तुलन पत्र, लाभ एवं हानि विवरण एवं अनुसूचियां	38–73
05	महालेखाकार कि टिप्पणी	74–75

दि राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लि.

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

पंजीकृत कार्यालय : उद्योग भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302005

फोन : 0141-2227079 फैक्स : 0141-2227257

वेब साइट : www.industries.rajasthan.gov.in/rajsico, E-mail : rajsico@rajasthan.gov.in

CIN : U91110RJ1961SGC001118

59वीं वार्षिक साधारण सभा की सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि 59वीं वार्षिक आम सभा शुक्रवार, 27 नवम्बर, 2020 को 11.30 बजे मध्यान्ह पूर्व कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय उद्योग भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302005 पर निम्न कार्यों के सम्पादन के लिए आयोजित की जायेगी:

ए. सामान्य कार्य:

1. 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए कम्पनी के अंकेक्षित वित्तीय विवरण तथा निदेशक मण्डल के प्रतिवेदन एवं उन पर अंकेक्षकों की रिपोर्ट को प्राप्त करना, गौर करना एवं अंगीकार करना

2. श्री अजय असवाल (डी.आई.एन. 08465756) निदेशक को पुन: नियुक्त करना, जो क्रमिक रूप से अवकाश ग्रहण कर एवं पुर्ननियुक्ति के लिए पात्र हैं।

3. वर्ष 2020-21 के लिए वैधानिक अंकेक्षकों के पारिश्रमिक को निर्धारित करना।

बी. विशिष्ट कार्य:

4. निम्नलिखित साधारण प्रस्ताव पर विचार करना एवं यदि उचित हो तो इसको इसी रूप में या रूपान्तरण कर पारित करना:

''पारित किया जाता है कि श्री आशुतोष ए.टी.पेडणेकर (डी.आई.एन.02809506) जिन्हें 24 दिसम्बर 2019 को निदेशक मण्डल द्वारा अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया था एवं जिनका कम्पनी अधिनियम 2013 व अर्न्तनियम 161 के अन्तर्गत होने वाली वार्षिक साधारण सभा के प्रारम्भ होने तक कार्यकाल रहेगा एवं जिसके सम्बन्ध में एक सदस्य के माध्यम से कम्पनी अधिनियम 2013 व अर्न्तनियम 160 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त हो चुकी है जिसमें श्री आशुतोष ए.टी. पेडणेकर को कम्पनी के निदेशक के रूप में प्रस्तावित किया गया है, को क्रमिक रूप से सेवानिवृत्त योग्य, कम्पनी का निदेशक नियुक्त किया जाता है।''

5. निम्नलिखित साधारण प्रस्ताव पर विचार करना एवं यदि उचित हो तो इसको इसी रूप में या रूपान्तरण कर पारित करना:

''पारित किया जाता है कि श्री पी. रमेश (डी.आई.एन.03551794) जिन्हें 12 अक्टूबर, 2020 को निदेशक मण्डल द्वारा अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया था एवं जिनका कम्पनी अधिनियम 2013 व अर्न्तनियम 161 के अन्तर्गत होने वाली वार्षिक साधारण सभा के प्रारम्भ होने तक कार्यकाल रहेगा एवं जिसके सम्बन्ध में एक सदस्य के माध्यम से कम्पनी अधिनियम 2013 व अर्न्तनियम 160 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त हो चुकी है जिसमें श्री पी.रमेश को कम्पनी के निदेशक के रूप में प्रस्तावित किया गया है, को क्रमिक रूप से सेवानिवृत्त योग्य, कम्पनी का निदेशक नियुक्त किया जाता है।''

टिप्पणियाँ

(i) एक सदस्य जो सभा में उपस्थित होने एवं मत देने के लिए सक्षम है अपने स्थान पर उपस्थित होने एवं मत देने के लिए प्रतिपूर्ति नियुक्त कर सकता है। ऐसे प्रतिपूर्ति को कम्पनी का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है।

(ii) प्रतिपूर्ति प्रपत्र को कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में सभा के समय से कम से कम 48 घंटे पूर्व जमा किया जाना चाहिए।

(iii) कम्पनी अधिनियम 2013 व अर्न्तनियम 102 के अनुसरण में इस वार्षिक साधारण सभा में सम्पादित किये जाने वाले विशिष्ट कार्य का व्याख्यात्मक कथन संलग्न है।

पंजीकृत कार्यालय
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम,
जयपुर–302005
स्थान: जयपुर
तिथि: 06/11/2020

निदेशक मण्डल की आज्ञा से
कृते दि राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज
कॉरपोरेशन लि.

पी. के. जैन
कम्पनी सचिव

व्याख्यात्मक कथन

(कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 102 के अनुसरण में सूचना में दिये गये कार्य के संबंध में सभी भौतिकी तथ्यों को दर्शाते हुए व्याख्यात्मक कथन)

संकल्प संख्या 4 के सम्बन्ध में:-

निदेशक मण्डल द्वारा अपनी 357वीं बैठक जो दिनांक 24.12.2019 को सम्पन्न हुई, में कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 161 एवं कम्पनी के पार्षद अर्न्तनियम 71(3) के अन्तर्गत श्री आशुतोष ए.टी.पेडणेकर (डी.आई.एन. 02809506) को अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया। धारा 161 के प्रावधानों के अधीन वह आगामी वार्षिक सभा तक कार्य करेंगे। कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 160 के अन्तर्गत एक सदस्य का इनको निगम के निदेशक रखने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ। अत: आपके निदेशक इस प्रस्ताव को स्वीकार करने की अनुशंषा करते हैं।

उक्त निदेशक को उनकी नियुक्ति से सम्बन्धित संकल्प हित रखने वाला या उससे सम्बन्ध रखने वाला माना जायेगा। कोई भी निदेशकगण, मुख्य प्रबन्धकीय कार्मिक एवं उनके संबंधी इस संकल्प में किसी भी प्रकार से हित रखने वाले या उससे संबंध रखने वाले नहीं हैं।

संकल्प संख्या 5 के सम्बन्ध में:-

निदेशक मण्ड्ल द्वारा कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 161 एवं कम्पनी के पार्षद अर्न्तनियम 71(3) के अन्तर्गत श्री पी.रमेश (डी.आई.एन. 03551794) को दिनांक 12.10.2020 को अतिरिक्त् निदेशक नियुक्त किया गया। धारा 161 के प्रावधानों के अधीन वह आगामी वार्षिक सभा तक कार्य करेंगे। कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 160 के अर्न्तगत एक सदस्य का इनको निगम के निदेशक रखने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ। अत: आपके निदेशक इस प्रस्ताव को स्वीकार करने की अनुशंषा करते हैं।

उक्त निदेशक को उनकी नियुक्ति से सम्बन्धित संकल्प हित रखने वाला या उससे सम्बन्ध रखने वाला माना जायेगा। कोई भी निदेशकगण, मुख्य प्रबन्धकीय कार्मिक एवं उनके संबंधी इस संकल्प में किसी भी प्रकार से हित रखने वाले या उससे संबंध रखने वाले नहीं हैं।

पंजीकृत कार्यालय
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम,
जयपुर-302005
स्थान: जयपुर
तिथि: 06/11/2020

निदेशक मण्डल की आज्ञा से
कृते दि राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज
कॉरपोरेशन लि.

पी. के. जैन
कम्पनी सचिव

निदेशकों का प्रतिवेदन

सेवा में,
अंशधारियों हेतु
दि राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लि.

महानुभाव,

निदेशक मण्डल को कम्पनी के कार्य सम्पादन पर 59वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं 31 मार्च 2020 के तुलन-पत्र तथा इसी तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लाभ-हानि लेखों की वैधानिक अंकेक्षकों एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों सहित प्रस्तुत करते हुए अपार हर्ष हो रहा है।

(I) पूंजीगत ढांचा एवं वित्ती्य परिणाम

कम्पनी की अधिकृत पूंजी रूपये 100 प्रत्येक 8,50,000 इक्विटी शेयर्स के रूप में 850 लाख रू. है। कम्पनी की परिदत्त पूंजी 31 मार्च 2020 को 6,96,40,300/- थी। गत 3 वर्षों के दौरान खरीद, व्यापारवर्त, संचरण स्कन्ध एवं लाभ-हानि का परिणाम निम्नानुसार रहा है:- (राशि लाखों में)

वर्ष	खरीद	व्यापारवर्त	संवरण स्कन्ध	कर से पूर्व लाभ/हानि	कर के पश्चात् लाभ/हानि
2016-17	10258.46	11709.84	311.66	+ 291.34	+ 291.34
2017-18	12236.60	13605.80	522.05	+ 476.85	+ 476.85
2018-19	7724.86	9738.36	46.08	- 96.98	- 96.98
2019-20	468.19	2051.05	35.38	+ 36.78	+35.56

वित्तीय वर्ष के अंत और रिपोर्ट की तारीख के बीच अर्जित की गई कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई भी भौतिक परिवर्तन नहीं हैं। इसके अलावा व्यवसाय की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

(II) लाभांश

आपके निदेशक वित्तीय घाटा होने के कारण वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कोई लाभांश की अनुशंषा नहीं करते हैं।

(III) जमा निक्षेप

कम्पनी द्वारा वर्ष 2019-20 की अवधि में किसी राशि को स्वीकार नहीं किया है।

(IV) संसाधन

आपकी कम्पनी के कार्य संचालन हेतु संसाधन की आपूर्ति मूलत: कारोबार से अर्जित आय से की गई।

(V) ऋण, गांरटी एवं निवेश का विवरण

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 186 के प्रावधानों के अन्तर्गत कम्पनी द्वारा कोई ऋण नहीं दिया गया न ही कोई गारण्टी दी गई एवं न ही निवेश किया गया।

(VI) कम्पनी के कार्य एवं प्रगति

(1) निर्यात आधारभूत सेवायें :

कस्टम विभाग की स्वीकृति प्रदान करने के उपरान्त इनलैंड कन्टेनर डिपो, जयपुर एवं जोधपुर से कार्य संचालन किया गया। एयर कार्गो काम्पलेक्स जयपुर के माध्यम से वर्ष 2018-19 में 5100 करोड़ की तुलना में वर्ष 2019-20 में 2470.14 करोड़ मूल्य का आयात/निर्यात किया गया।

एयर कार्गों, जयपुर से वर्ष 2018-19 में 3.20 करोड़ की तुलना में वर्ष 2019-20 में 1.85 करोड़ का कारोबार हुआ।

आईसीडी जयपुर का आयात/निर्यात 893 टीईयू रहा और आई.सी.डी. जोधपुर का आयात/निर्यात 4707 टीईयू का संचालन करके बन्दरगाह के लिए ट्रांसपोर्ट किया गया। वर्ष 2019-20 के दौरान आई.सी.डी. जयपुर एवं जोधपुर का क्रमश: 203.47 लाख एवं 932.85 लाख का कारोबार हुआ।

(2) हस्तरशिल्प :

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान राजस्थली एम्पोरियम की कुल बिक्री 604.30 लाख रूपये का कारोबार हुआ। एमएसजी/क्यूएसटी योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय भण्डार, अनुमोदन के आधार पर माल गुड्स ऑन अप्रूवल (जीओए) के अन्तर्गत पंजीकृत आपूर्तिकृर्ता से कुल 548.33 लाख रूपये का माल क्रय किया गया।

न्यूनतम बिक्री गारंटी (एमएसजी/क्यूएसटी) योजना के तहत बिक्री पर लाईसेंस शुल्क और कमीशन से आय मार्च 2020 को समाप्त वर्ष की आय राशि रू. 199.19 लाख रही जबकि मार्च 2019 को समाप्त वर्ष में राशि 183.21 लाख रूपये थी।

(3) लघु उद्योग के उत्पादों का विपणन :

राजकीय विभाग एवं उपक्रम, राजस्थान सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के नियम 32 और आर टी पी पी नियम 30 के प्रावधानों के अनुसार बिना निविदा किये आर एस आई सी के माध्यम से लघु उद्योग उत्पादों यथा स्टील फर्नीचर, टेन्ट एवं तिरपाल, पोलिथिन बैग्स तथा कांटेदार तार क्रय कर रहे हैं। इन उत्पादों के अतिरिक्त निगम द्वारा एंगल आयरन पोस्ट की आपूर्ति प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर करवाई जा रही है। वर्ष 2019-20 से उक्त उत्पादों की आपूर्ति रूपये 382.25 लाख की हुई।

(4) कच्चा् माल का वितरण :

भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय द्वारा इस्पात के वार्षिक आवंटन अनुसार लोहा एवं इस्पात का क्रय एसएआईएल एवं आरआईएनएल से किया जाता रहा है। इस्पात मंत्रालय द्वारा जे पी सी छूट योजना को समाप्त करने के पश्चात् अनुदान राशि योजना को वापिस लेने से लघु उद्योगों द्वारा लोहा एवं इस्पात की मांग नहीं की गई।

(5) भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, 2019 (14-27 नवम्बर, 2019):

भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2019 में राज्य का प्रतिनिधित्व निगम द्वारा प्रगति मैदान, नई दिल्ली में किया गया। 26 नवम्बर 2019 को राजस्थान दिवस मनाया गया।

(6) प्रोत्साहनात्मक एवं विकास सम्बन्धी गतिविधियाँ :

निगम द्वारा हस्तशिल्पी एवं दस्तकार कल्यान कोष योजना के अन्तर्गत रू. 100 लाख का कारपोस फण्ड संधारित किया जा रहा है जो कि राज्य सरकार, रीको, आर.एफ.सी. एवं आर.एस.आई.सी. द्वारा क्रमश: 50:30:15:05, के अनुपात में संयुक्त योगदान द्वारा बनाया गया है। इस फण्ड से प्राप्त ब्याज की राशि से पात्र शिल्पियों और दस्तकारों को वित्तीय पोषण प्रदान किया जाता है।

निगम कला एवं शिल्प के प्रोत्सोहन के लिए राज्य सरकार की नोडल एजेन्सी के रूप में उत्कृष्ट और योग्य कलाकृतियों को राज्य स्तर एवं योग्यता पुरस्कार वितरण हेतु चयन प्रक्रिया में समन्वयनकर्त्ता है। यह पुरस्कार सामान्यत: राज्य स्तरीय समारोह में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रदान किये जाते हैं।

(VII) निदेशकों का दायित्व विवरण (कम्पनीज एक्ट 2013 की धारा 134)

आपके निदेशकों का कहना है कि :-

- वार्षिक लेखों को तैयार करने में, लागू लेखा मानकों की अनुपालना की गयी है तथा उल्लेखनीय विचलन की दशा में समुचित स्पष्टीकरण दिये गये हैं।
- निदेशकों द्वारा ऐसी लेखा नीतियों का चयन किया गया है एवं उन्हें निरन्तर अपनाया गया है तथा ऐसे समुचित एवं विवेकपूर्ण निर्णय लिए गए हैं तथा अनुमान लगाए गए हैं जिससे वित्तीय वर्ष के अन्त में कम्पनी की वस्तु स्थिति की तथा इसी अवधि के कम्पनी के लाभ-हानि की सही एवं स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुति की जा सके।
- कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखा अभिलेखों के संधारण हेतु उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती गयी है ताकि कम्पनी की सम्पत्तियों की सुरक्षा की जा सके एवं धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं को रोका एवं उजागर किया जा सके।
- निदेशकों द्वारा वार्षिक लेखे चल संस्थान सिद्धान्त के आधार पर तैयार किये गये हैं।
- निदेशकों द्वारा समस्त लागू विधियों के प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए समुचित प्रणालियां नियोजित की गई है तथा ये प्रणालियां पर्याप्त है एवं प्रभावी ढंग से कार्य कर रही है।

(VIII) मण्डल की उप समितियां तथा कार्मिक एवं प्रशासनिक आकृति

(1) अंकेक्षण समिति

वर्ष 2019-20 की अवधि में समिति की एक बैठक दिनांक 28.08.2019 को सम्पन्न हुई। कम्पनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुरूप कम्पनी द्वारा अंकेक्षण समिति का गठन किया गया है जो लेखांकन के विभिन्न

पहलूओं पर ध्यान देने एवं वार्षिक लेखा के रख–रखाव की समीक्षा करे :

1. आयुक्त उधोग – निदेशक

2. संयुक्त सचिव (वित्त) – निदेशक

3. प्रबन्ध निदेशक, आरएफसी – निदेशक

वित्तीय सलाहकार/सीएओ – सदस्य सचिव

(2) संस्था की संरचना

दिनांक 31 मार्च 2020 को निगम में कर्मचारियों की कुल संख्या 63 थी जिसमें 7 अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर हैं अत: निगम के 16 कर्मचारी अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति/विपरीत प्रतिनियुक्ति पर भेजे गये हैं।

(3) आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली एवं उनकी पर्याप्तता

कम्पनी के आकार को देखते हुए कम्पनी में पर्याप्त आन्तरित वित्तीय नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है।

(4) कर्मचारियों से संबंध

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान प्रबंधन और कर्मचारियों के संबंध सौहार्दपूर्ण बने रहे।

(5) भारतीय कम्पनीज अधिनियम 2013 की धारा 134 के अन्तर्गत कर्मचारियों का विवरण :

कम्पनीज अधिनियम 2013 की धारा 134 के अन्तर्गत सूचना शून्य है।

(6) 2019–20 के दौरान संचालक मण्डल की कुल चार बैठकें आयोजित की गई जो निम्नानुसार हैं:–

बोर्ड मिटिंग संख्या	दिनांक	निदेशकों की उपस्थिति
354	27.05.19	4
355	25.07.19	6
356	29.08.19	3
357	24.12.19	4

(IX) कम्पनी एक्ट 2013 की धारा 92(3) के अन्तर्गत वार्षिक विवरणी का सारांश फार्म नम्बर एम.जी.टी.-9 संलग्न है।

(X) संचालक मण्डल नियम 1990 के अन्तर्गत निदेशकों के प्रतिवेदन में दी जाने वाली सूचना का विवरण :

(1) तकनीक संविलयन एवं ऊर्जा संरक्षण:-

व्यापार प्रवृति के दृष्टिगत लागू नहीं है।

(2) विदेशी मुद्रा की आय तथा व्यय

विदेशी मुद्रा व्यय : शून्य

विदेशी मुद्रा का अर्जन: रू. 7.44 लाख (सामान के विक्रय से)

(3) कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत घोषणा कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अन्तर्गत यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति (आई.सी.सी.) गठित की है।

यौन उत्पीड़न की प्राप्त शिकायतों की संख्या : शून्य

(4) निदेशक मण्डल 1.4.19 से 31.3.20 तक

क्र.सं.	नाम व पद	कब से	कब तक
1.	श्री आलोक, अध्यक्ष	11.03.19	25.9.19
2.	श्री सुबोध अग्रवाल, अध्यक्ष	25.9.19	13.1.20
3.	श्री अम्बरीष कुमार, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	13.1.20	
4.	श्री के.के. पाठक, प्रबन्ध निदेशक	01.08.19	27.9.19
5.	श्री के.के. पाठक, निदेशक	15.01.19	27.9.19
6.	श्रीमती उर्मिला राजोरिया, निदेशक	27.08.18	
7.	श्री गौरव गोयल, अतिरिक्तन निदेशक	25.01.19	27.9.19
8.	श्री अजय असवाल, अतिरिक्त निदेशक	27.05.19	
9.	सुश्री शुभम चौधरी, अतिरिक्त निदेशक	24.12.19	
10.	श्री आशुतोष ए.टी. पेडणेकर, अतिरिक्त निदेशक	24.12.19	

(XI) (1) वैधानिक अंकेक्षण/अंकेक्षण रिपोर्ट

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए मैसर्स बाफना एण्ड ऐसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स, जयपुर को कम्पनी का वैधानिक अंकेक्षक नियुक्त किया। निदेशक मण्डल अंकेक्षण के कार्य को अंकेक्षक द्वारा यथा समय सम्पन्न करने के लिए प्रशंसा के साथ अभिलिखित करते हैं। अंकेक्षकों की टिप्पंणी पर प्रबन्धन का प्रतिउत्तर इस रिपोर्ट के साथ परिशिष्ट में दिया गया है।

(2) आन्तरिक अंकेक्षण :

निगम की आन्तरिक अंकेक्षण शाखा समय–समय पर कम्पनी का अंकेक्षण करती है।

(XII) आभार

कम्पनी का निदेशक मण्डल राजकीय विभागों, केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) नई दिल्ली तथा अन्य सह संस्थान के प्रति उनके द्वारा प्रदत्त सद्भावनापूर्ण सहायता और सहयोग के प्रति आभार अभिलिखित करता है। आपके निदेशक भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार, कम्पनी रजिस्ट्रार, राजस्थान और वैधानिक अंकेक्षक मैसर्स बाफना एण्ड एसोसिऐट्स, चाटेर्ड एकाउन्टेरन्ट, जयपुर के अमूल्य मार्गदर्शन एवं सलाह के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। निदेशक मण्डल निगम के सभी स्तर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सहयोग के लिए भी सराहना अभिव्यक्त करता है।

कृते निदेशक मण्डल

(नरेश पाल गंगवार, आई.ए.एस.)
अध्यक्ष
डीआईएन : 01180608

स्थान : जयपुर

फार्म नं. एम.जी.टी. – 9

31.03.2020 तक के समाप्त वित्तीय वर्ष की वार्षिक विवरणी का सारांश

(कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 92 (3) एवं कम्पनी (प्रबन्ध और प्रशासन नियम, 2014)

के नियम 12 (1) के सम्बन्ध में)

(I) पंजीयन एवं अन्य विवरण

(1)	सी.आई.एन.	यू 91110 आर.जे.1961 एस.जी.सी.001118
(2)	पंजीयन की तारीख	03.06.1961
(3)	कम्पनी का नाम	दि राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड
(4)	कम्पनी की श्रेणी/उपश्रेणी	सरकारी कम्पनी
(5)	रजिस्टर्ड कार्यालय का पता व सम्पर्क का विवरण	उद्योग भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर (राज.) भारत 302005 फोन:0141–2227267, फैक्स:0141–5115766
(6)	क्या सूचीबद्ध कम्पनी है	नहीं
(7)	पंजीयक एवं अन्तरण एजेन्ट यदि कोई है, का नाम, पता तथा सम्पर्क विवरण	लागू नहीं

(II) कम्पनी की प्रमुख व्यवसायिक गतिविधियां :

उन सभी व्यावसायिक गतिविधियों का उल्लेख किया जाना चाहिए जो कम्पनी के कुल व्यवसाय में 10 प्रतिशत या अधिक का योगदान करती हो।

क्र. सं.	मुख्य उत्पादों/ सेवाओं का नाम एवं ब्यौरा	उत्पाद/ सेवा का एनआईसी कोड	कम्पनी के कुल व्यवसाय का प्रतिशत
1.	निर्यात आधारभूत सेवायें		64.19
2.	विपणन विभाग		18.64

(III) धारक, अनुषंगी एवं सहायक कम्पनी का विवरण

क्र. सं.	कम्पनी का नाम व पता	सीआईएन/ जीएलएन	धारक/अनुषंगी/ सहायक	अंशधारिता का प्रतिशत	लागू धारा
1.			शून्य		

(IV) अंशधारिता का स्वरूप (कुल पूंजी में समता अंश पूंजी का प्रतिशत)

(i) केटेगिरी वाईज अंशधारिता

अंशधारकों की श्रेणी		वर्षारम्भ में धरित अंशों की संख्या				वर्षान्त पर धारित अंशों की संख्या				वर्ष के दौरान बदलाव प्रतिशत
		डीमेट	फिजीकल	योग	कुल अंशों का %	डीमेट	फिजीकल	योग	कुल अंशों का %	
(ए)	प्रवर्तक									
	(1) भारतीय									
	(ए) व्यक्ति/एचयूएफ	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(बी) केन्द्र सरकार	–	27000	27000	3.88		27000	27000	3.88	–
	(सी) राज्य सरकार	–	664387	664387	95.40		664387	664387	95.40	–
	(डी) निगमित निकाय	–	5000	5000	0.72		5000	5000	0.72	–
	(ई) बैंक/वित्तीय संस्थान	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(एफ) अन्य कोई	–	16	16			16	16	–	–
उपयोग ए (1)										
	(2) विदेशी	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(ए) व्यक्ति (एनआरआई व्यक्ति)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(बी) अन्य व्यक्ति	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(सी) निगमित निकाय	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(डी) बैंक/वित्तीय संस्थान	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(ई) अन्य कोई	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	उपयोग ए (2)	–	–	शून्य	–	–	–	–	–	–
(बी)	सार्वजनिक अंशधारिता	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(1) संस्थागत	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(ए) साझाकोष	–	–	शून्य	–	–	–	–	–	–
	(बी) बैंक/वित्तीय संस्थान	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(सी) केन्द्र सरकार	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(डी) राज्य सरकार	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(ई) जोखिम पूंजी कोष	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(एफ) बीमा कम्पनियाँ	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(जी) विदेशी संस्थागत निवेशक	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(एच) विदेशी जोखिम पूंजी निवेशक	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(आई) अन्य (स्पष्ट विवरण)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
उपयोग (बी) (1)		–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	(2) गैर-संस्थागत	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(ए) निगमित निकाय i) भारतीय ii) विदेशी	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(बी) व्यक्ति	–	–	–	–	–	–	–	–	–

	(i) व्यक्ति जो 1 लाख रूपये तक की नोमिनल अंश पूंजी धारित करते है	–	–	शून्य	–	–	–	–	–	–
	(ii) व्यक्ति जो 1 लाख रूपये से अधिक की नोमिनल अंश पूंजी धारित करते है	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(सी) अन्य (स्पष्ट विवरण)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	उपयोग (बी) (2)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	कुल सार्वजनिक धारिता योग बी = (बी) (1) + (बी) (2)									
(सी)	जीडीआर/एडीआर के विरूद्ध कस्टोडियन द्वारा धारित अंश	–	–	शून्य	–	–	–	–	–	–
कुल योग (ए + बी + सी)			696403	696403	100		696403	696403	100	

(ii) प्रवर्तकों की अंशधारिता:–

क्र.सं.	अंशधारक का नाम	वर्षारम्भ पर अंशधारिता			वर्षान्त पर अंशधारिता			वर्ष के दौरान अंशधारिता में बदलाव प्रतिशत
		अंशों की संख्या	कम्पनी के कुल अंशों का प्रतिशत	कुल अंशों में से गिरवी/रहन रखे अंशों का प्रतिशत	अंशों की संख्या	कम्पनी के कुल अंशों का प्रतिशत	कुल अंशों में से गिरवी/रहन रखे अंशों का प्रतिशत	
1.		अंशधारकों की सूची संलग्न						
	कुल							

(iii) प्रवर्तकों की अंशधारिता में परिवर्तन (कृपया स्पष्ट करें यदि कोई बदलाव नहीं है) – कोई बदलाव नहीं

क्र.सं.		वर्षारम्भ पर अंशधारिता		वर्ष के दौरान संचयी अंशधारिता	
		अंशों की संख्या	कुल अंशों का प्रतिशत	अंशों की संख्या	कुल अंशों का प्रतिशत
	वर्षारम्भ में				
	वर्ष के दौरान प्रवर्तकों की अंशधारिता में वृद्धि/कमी का तिथि वार विवरण कारण सहित (यथा आवंटन/ अन्तरण/ बोनस/श्रम साध्य अंश आदि)		शून्य		
	वर्षान्त पर				

(iv) प्रमुख दस अंशधारकों की अंशधारिता का स्वरूप (निदेशक, प्रवर्तक एवं जीडीआर एवं एडीआर के धारकों के अलावा) :

क्र.सं.		वर्षारम्भ पर अंशधारिता		वर्ष के दौरान संचयी अंशधारिता	
		अंशों की संख्या	कम्पनी के कुल अंशों का प्रतिशत	अंशों की संख्या	कम्पनी के कुल अंशों का प्रतिशत
	वर्षारम्भ पर				
	वर्ष के दौरान प्रवर्तकों की अंशधारिता में वृद्धि/कमी का तिथि वार विवरण कारण सहित (यथाआवंटन/अन्तरण/बोनस/श्रम साध्य अंश आदि)	संलग्न सूची अनुसार			

(v) निदेशकों एवं प्रमुख प्रबन्धकीय कार्मिकों की अंशधारिता:

क्र.सं.		वर्षारम्भ पर अंशधारिता		वर्ष के दौरान संचयी अंशधारिता	
		अंशों की संख्या	कम्पनी के कुल अंशों का प्रतिशत	अंशों की संख्या	कम्पनी के कुल अंशों का प्रतिशत
	वर्षारम्भ पर	–	–	–	–
	वर्ष के दौरान प्रवर्तकों की अंशधारिता में वृद्धि/कमी का तिथि वार विवरण कारण सहित (यथा आवंटन/अन्तरण/बोनस/ श्रम साध्य अंश आदि)	शून्य			
	वर्षान्त पर	–	–	–	–

(V) ऋण भार

कम्पनी पर ऋण भार मय बकाया/उपार्जित ब्याज सहित किन्तु भुगतान देय नहीं (रूपये लाखों में)

विवरण	सुरक्षित ऋण जमाओं के अतिरिक्त	असुरक्षित ऋण	जमायें	कुल ऋण भार
वर्षारम्भ पर ऋण भार				
(I) मूलधन		641.77		
(ii) देय ब्याज लेकिन चुकाया नहीं गया		208.91		
(iii) उपार्जित ब्याज किन्तु देय नहीं		4.82		
कुल (i+ii+iii)		855.50		
वित्तीय वर्ष में ऋण भार में परिवर्तन				
● अभिवृद्धि		+22.68		
● घटत		0.00		
कुल परिवर्तन		+22.68		
वर्षान्त पर ऋण भार				
(i) मूल धन		641.77		
(ii) देय ब्याज लेकिन चुकाया नहीं गया		231.55		
(iii) उपार्जित ब्याज किन्तु देय नहीं		4.86		
कुल (i+ii+iii)		878.18		

(VI) निदेशकों एवं मुख्य प्रबन्धकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

ए) प्रबन्ध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों एवं/या प्रबन्धक का पारिश्रमिक

(राशि रू. में)

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रबन्ध निदेशक/ पूर्णकालिक निदेशक/प्रबन्धक का नाम			कुल राशि (रू.)
1. (ए)	सकल वेतन आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) के प्रावधानों के अनुसार वेतन	1. श्री आलोक 2. श्री गिरीराज सिंह	अध्यक्ष प्रबन्ध निदेशक	32387 15960	1928968
(बी)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अन्तर्गत परिलाभों का मूल्य	3. श्री अम्बरीष कुमार	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	795426	
(सी)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अन्तर्गत वेतन के बदले लाभ	4. श्रीमती शकुन्तला सिंह	प्रबन्ध निदेशक	1085195	
2.	स्टॉक ऑप्शन				
3.	श्रम साध्य अंश				
4.	कमीशन – लाभ के प्रतिशत के रूप में – अन्य, स्पष्ट करें				
5.	अन्य कोई हो तो उल्लेख करें				
6.	योग (ए)				
	अधिनियम के अनुसार सीमा				

बी) अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक:

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशक का नाम	कुल राशि
1.	स्वतंत्र निदेशकगण – मण्डल/मण्डल की कमिटी की बैठकों में उपस्थित होने का शुल्क		
	– कमीशन		
	– अन्य, कृपया स्पष्ट करें		
	योग (1)		
2.	अन्य गैर अधिशाषी निदेशकगण – मण्डल/मण्डल की कमिटी की बैठकों में उपस्थित होने का शुल्क – कमीशन – अन्य, कृपया स्पष्ट करें	शुन्य	
	कुल (2)		
	योग (बी) =(1+2)		
	कुल प्रबन्धकीय पारिश्रमिक		
	अधिनियम के अनुसार कुल सीमा		

सी) प्रबन्ध निदेशक/प्रबन्धक/पूर्णकालिक निदेशक के अलावा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक (राशि रू. में)

क्र.सं.	पारिश्रमिक विवरण	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक			
		प्रबन्धक	कम्पनी सचिव	सी.एफ.ओ./ सी.ई.ओ.	योग
1.	सकल वेतन				
	(ए) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) के प्रावधानों के अनुसार वेतन	1870341	465159	–	2355500
	(बी) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अन्तर्गत परिलाभों का मूल्य				
	(सी) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अन्तर्गत वेतन के बदले लाभ				
2.	स्टॉक ऑप्शन				
3.	श्रम साध्य अंश				
4.	कमीशन – लाभ पर प्रतिशत – अन्य, विशिष्ठ				
5.	अन्य, कृपया स्पष्ट करें				
6.	योग				

(VII) शास्ति/दण्ड/अवहेलनाओं की कम्पाउंडिंग

प्रकार	कम्पनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	प्रभारित शास्ति/दण्ड/ कम्पाउंडिंग शुल्क का विवरण	अथोरिटी आरडी/ एनसी एलटी/कोर्ट	दायर अपील यदि कोई है (विवरण दें)
ए. कम्पनी					
शास्ति					
दण्ड					
कम्पाउन्डिंग					
बी. निदेशकगण					
शास्ति					
दण्ड			शून्य		
कम्पाउंडिंग					
सी. अन्य दोषी अधिकारी					
शास्ति					
दण्ड					
कम्पाउंडिंग					

कृते निदेशक मण्डल

(नरेश पाल गंगवार, आई.ए.एस.)

अध्यक्ष

डीआईएन : 01180608

स्थान : जयपुर

दिनांक :

6 नवंबर 2020 को आरएसआईसी के शेयर धारकों की सूची

क्र.सं.	नाम	शेयरों/डिबेंचरों की संख्या्	शेयरों/डिबेंचरों का प्रकार	शेयरों/डिबेंचरों की राशि	पता
1	महामहिम राष्ट्रपति	27000	इक्विटी शेयर	100	विकास आयुक्त(हस्तशिल्प), भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड, वेस्ट ब्लैक 7, आर.के. पुरम, न्यू दिल्ली के माध्यम से
2.	महामहिम राज्यपाल, राजस्थान सरकार	664387	इक्विटी शेयर	100	शासन उप सचिव वित्त (व्यय खत एण्ड पीआई) राजस्थान, जयपुर के माध्यम से
3.	राजस्थान अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लि., जयपुर	5000	इक्विटी शेयर	100	जयपुर
4.	श्रीमती उषा प्रकाश	1	इक्विटी शेयर	100	3-ए-सी, जयसिंह हाईवे, सुन्दर पथ, बनीपार्क, जयपुर
5.	श्री दीपक खण्डेलवाल	1	इक्विटी शेयर	100	सी-18, चौमूं हाऊस, सी-स्कीम, जयपुर
6.	श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चुण्डावत	1	इक्विटी शेयर	100	सी-194, जगदीश मार्ग, लक्ष्मी निवास, बनीपार्क, जयपुर
7.	श्री के.एल. जैन	1	इक्विटी शेयर	100	उनियारा गार्डन, मोती डूंगरी रोड़, जयपुर
8.	श्री जय किशन शर्मा	1	इक्विटी शेयर	100	24-लाजपत नगर, स्कीम नं. 2 अलवर
9.	श्री गोपाल लाल गुप्ता	1	इक्विटी शेयर	100	मार्फत- राजस्थान इलेक्ट्रिक इण्डस्ट्रीज, सी-2,इण्डस्ट्रीयल स्टेट,बाईस गोदाम, जयपुर
10.	श्री शाह सुरेन्द्र कुमार	2	इक्विटी शेयर	100	कल्याण भवन, शाह बिल्डिंग, चौड़ा रास्ता, जयपुर
11.	श्री श्रीभान सिंह	1	इक्विटी शेयर	100	अटल बंध, भरतपुर
12.	डॉ. जी.आर. तोषनीवाल	1	इक्विटी शेयर	100	कुन्दन नगर, अजमेर
13.	श्री जग मोहन दास मुदड़ा	1	इक्विटी शेयर	100	नत्थूटसर गेट, बीकानेर
14.	श्री जगमोहन लाल ताम्बी	1	इक्विटी शेयर	100	मार्फत-मैसर्स जे.जे. फोंमस् प्रा. लि., ओखला इण्डस्ट्रीयल स्टेट, न्यू, दिल्ली
15.	श्री अभय कुमार जैन	1	इक्विटी शेयर	100	11-चौधरी भवन, सरदारपुरा, जोधपुर
16.	श्री धर्मचन्द चोपड़ा	1	इक्विटी शेयर	100	मार्फत मैसर्स राजस्थान फ्रुट प्रिर्जव प्रा.लि., सुरतगढ़रोड़, श्रीगंगानगर
17.	श्री आनन्द सिंह कच्छावा	1	इक्विटी शेयर	100	2-डी- फोर्ट रोड, जोधपुर
18.	सरदार प्यारे सिंह	1	इक्विटी शेयर	100	3-नानकपुरा, उदयपुर
	कुल	696403			

टिप्पणी : चार अधिकारिक निदेशकों के 100/- रूपये प्रति इक्विटी शेयर के नाम पर पांच शेयर राजस्थान के गवर्नर, द्वारा शेयर होल्डिंग में सम्मिलित, के नामांकित व्यक्ति के रूप में शेयर धारण कर रहे हैं।

19.	डॉ. समित शर्मा, आई.ए.एस., प्रबन्ध निदेशक	2	इक्विटी शेयर	100	प्रबन्ध निदेशक, राजसिको, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर
20.	श्रीमती अर्चना सिंह, आई.ए.एस., उद्योग आयुक्त, जयपुर	1	इक्विटी शेयर	100	उद्योग आयुक्त राजस्थान सरकार, उद्योग भवन, जयपुर
21.	श्री आशुतोष ए.टी. पेंडनेकर, आई.ए.एस., प्रबन्ध निदेशक, रीको	1	इक्विटी शेयर	100	प्रबन्ध निदेशक, रीको, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर
22.	श्री अजय असवाल, आई.ए.एस., संयुक्त सचिव	1	इक्विटी शेयर	100	संयुक्त सचिव, वित्त (व्यय-II) वित्त विभाग ,राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर

(पी. के. जैन)
कम्पनी सचिव

प्रतिलिपि :
नं. आरएसआईसी/को.एफ./

1.आरएसआईसी के समस्त निदेशक
2.सीएओ, आरएसआईसी
3.ओएसडी, आरएसआईसी
4.कंसल्टेन्ट, आरएसआईसी, जयपुर
5.मैसर्स बाफना एण्ड एसोसियेट्स चाटेर्ट एकाउन्टेन्टस्, 101 अनुकम्पा मेंशन-प्रथम, एम.आई. रोड़, जयपुर

दिनांक

कम्पनी सचिव

दि राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लि. के अंशधारिकों के दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर निदेशकों के स्पष्टीकरण का परिशिष्ट

अन्य विधि और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट बिन्दू सं. – (ए) (बी) (सी) (डी) (इ) (एफ) (जी) (एच) (आई) कोई टिप्पणी आवश्यक नहीं

परिशिष्ट ''1'' दि राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लि. के लेखों का अंकेक्षण प्रतिवेदन

क्वालीफिकेशन ओपीनियन का आधार

भाग–1 (टिप्पणियां जिनका प्रभाव वित्तीय विवरणों पर निर्धारित हैं)

1. नोट कर लिया है, तथ्यात्मक स्थिति का पता लगाने के बाद प्रावधान किया जाएगा।
2. नोट कर लिया है, टीआरएनएस–1 को अधिकारिता होने पर प्रस्तुत कर दिया जायेगा अथवा एस टी 3 में देय राशि के लिए अपील दायर की जायेगी।
3. नोट कर लिया है, कम्पनी द्वारा रीको एवं जेडीए को शास्ति की राशि को समाप्त करने के लिए निवेदन कर दिया गया है।
4. नोट कर लिया है, तथ्यात्मक स्थिति का पता लगाने के पश्चात् प्रावधान किया जाएगा।

भाग–2 (टिप्पणियां जिनका प्रभाव वित्तीय–II विवरणों पर निर्धारित हैं)

1. नोट कर लिया है,
2. नोट कर लिया है,
3. नोट कर लिया है,
4. नोट कर लिया है,
5. नोट कर लिया है,कम्पनी द्वारा आईटीपीओ को 7.03 लाख रूपये की पुष्टि हेतु निवेदन कर दिया गया है।
6. नोट कर लिया है,
7. नोट कर लिया है,अगले वर्ष उचित वर्गीकरण किया जायेगा।
8. नोट कर लिया है, आईटीपीओ से पुष्टि प्राप्त कर लिया जायेगा।
9. नोट कर लिया है,
10. नोट कर लिया है,
11. नोट कर लिया है,अगले वर्ष उचित वर्गीकरण किया जायेगा।
12. भविष्य के लिए नोट कर लिया है।
13. नोट कर लिया है।

परिशिष्ट–''2'' दि राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लि. के लेखों का विशिष्ठ महत्व

1. नोट कर लिया है।
2. नोट कर लिया है, उचित निर्णय आगामी वित्तीय वर्ष में लिया जावेंगा।
3. नोट कर लिया है।
4. नोट कर लिया है, संचालक मण्डल की 359वीं बैठक में कार्योत्तर मजूंरी दे दी गयी हैं।
5. नोट कर लिया है।

परिशिष्ट– ''3'' दि राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लि. के लेखों को कारो 2016 में अग्रेषित

1. नोट कर लिया है, कम्पनी सम्पति का उचित शीर्षक विलेख प्राप्त करनें की कोशिश कर रही हैं।
2. कोई टिप्पणी आवश्यक नहीं
3. कोई टिप्पणी आवश्यक नहीं
4. कोई टिप्पणी आवश्यक नहीं
5. कोई टिप्पणी आवश्यक नहीं
6. कोई टिप्पणी आवश्यक नहीं
7. कोई टिप्पणी आवश्यक नहीं
8. कोई टिप्पणी आवश्यक नहीं
9. कोई टिप्पणी आवश्यक नहीं
10. कोई टिप्पणी आवश्यक नहीं
11. कोई टिप्पणी आवश्यक नहीं
12. कोई टिप्पणी आवश्यक नहीं
13. कोई टिप्पणी आवश्यक नहीं
14. कोई टिप्पणी आवश्यक नहीं
15. कोई टिप्पणी आवश्यक नहीं
16. कोई टिप्पणी आवश्यक नहीं

परिशिष्ट– ''4'' एवं ''5'' दी राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लि. के अंकेक्षण प्रतिवेदन के वैधानिक अंकेक्षणों की टिप्पणी

वैधानिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियाँ – नोट कर लिया है।

डॉ समित शर्मा
प्रबन्ध निदेशक
डीआईएन 03494438

अर्चना सिंह
निदेशक
डीआईएन06785834

पंजीकृत कार्यालय : 101, अनुकम्पा मेन्शन–प्रथम,
एम.आई.रोड, जयपुर–01
(का.) 0141–2373983, 4901940
ई–मेल : प्रेमचन्दबाफना@जीमेल.कॉम

बाफना एण्ड ऐसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट

स्वतंत्र अंकेक्षकों का प्रतिवेदन

सेवा में,
सदस्यगण,

दी राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड

वित्तीय प्रपत्रों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट
क्वालीफाईड ऑपिनियन

हमने दि राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लि. जयपुर (निगम) के वित्तीय प्रपत्रों जिनमें दिनांक 31 मार्च 2020 का तुलन–पत्र, इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ–हानि का विवरण एवं नगद प्रवाह विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश एवं अन्य विवरणात्मक सूचनाऐं सम्मिलित हैं, का अंकेक्षण कर लिया है।

हमारी राय में तथा हमारी अधिकतम जानकारी एवं हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार, हमारी क्वालीफाईड ऑपिनियन के आधार पर नीचे दिये गये पैराग्राफ में उल्लेखित मामलों के संभव प्रभाव के अतिरिक्त, उपरोक्त वित्तीय विवरणों, अधिनियम में चाही गई सूचना आवश्यक विधि से उपलब्ध कराते है एवं जो विश्वसनीय और निष्पक्ष दृष्टिकोण दें। अत: अन्य लेखांकन सिद्धान्त जो भारत में आमतौर पर स्वीकार किए जाते हैं और जो कम्पनी की 31.03.2020 की स्थिति दर्शाते हैं एवं इस तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए हानि और नगदी प्रवाह दर्शाते हैं।

हमने कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(10) में विनिर्दिष्ट निर्धारित अंकेक्षण मानदण्डों द्वारा जारी किये गये दिशा–निर्देश के अनुसार अंकेक्षण किया। हमारा अंकेक्षण का दायित्व इन मानदण्डों के अनुसार जो अंकेक्षक की जिम्मेदारियों में उल्लेखित है को अपनी रिपोर्ट के कम्पनी के वित्तीय प्रतिवेदनों के भाग में दर्शाया गया है। हम भारतीय चार्टर्ड एकाउटेंटस् संस्था (दि आई.सी.ए.आई.) द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कम्पनी से स्वतंत्र हैं एवं कम्पनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों एवं इस पर आधारित नियमों के अनुसार वित्तीय प्रतिवेदनों के अंकेक्षण के लिए नैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर तथा आई.सी.ए.आई. आचार संहिता की आवश्यकताओं के अनुरूप हमने लेखा परीक्षण किया। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त किये गये अंकेक्षण साक्ष्य पर्याप्त हैं तथा वित्तीय प्रतिवेदनों पर हमारी अंकेक्षण राय हेतु आधार प्रदान करने के लिए उपयुक्त हैं।

अंकेक्षण राय का आधार

अंकेक्षण रिपोर्ट के परिशिष्ट 'I' के भाग–I एवं भाग–II में दर्शाये गये मामलों में कम्पनी द्वारा उल्लेख प्रदान नहीं किया गया है। हम परिशिष्ट– 'I' के भाग–II में दर्शाये गये मामलों में पर्याप्त उपयुक्त अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके। तदानुसार

हम वित्तीय प्रतिवेदनों पर प्रभाव का आंकलन करने में असमर्थ रहे।

अगर इस रिपोर्ट के परिशिष्ट–I के भाग–I पर हमारे द्वारा दिये गये पर्यवेक्षण पर विचार किया होता तो स्थिति निम्नानुसार होगी:

विवरण	वित्तीय विवरणों के अनुसार राशि	हमारी अंकेक्षण रिपोर्ट पर विचार उपरान्त राशि
संचय एवं अतिरेक	(–) 181076519	(–) 197515800
अल्प– अवधि प्रावधान	162380101	177235101
वस्तु सूची	3538107	3495785
व्यापारिक लेनदारियां (प्रावधान के पश्चात कुल)	7920578	7416318
अल्प अवधि ऋण एवं अग्रिम	60281469	59243770

मामलों का अवधारण

हम अंकेक्षण रिपोर्ट के परिशिष्ट '2' पर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। इन मामलों में हमारी अंकेक्षण राय नहीं है।

अन्य मामले

हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के आधार पर वित्तय वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 के लिए कोई आतंरिक अंकेक्षण नहीं करवाया गया एवं न ही हमें आतंरिक अंकेक्षण रिपोर्ट उपलब्ध करवाई गई।

वित्तीय प्रतिवेदनों के अतिरिक्त सूचना एवं उस पर अंकेक्षण रिपोर्ट

कम्पनी का निदेशक मण्डल अन्य सूचना तैयार करने के लिए जिम्मैदार है। अन्य सूचना में निदेशक मण्डल की रिपोर्ट में सम्मिलित की जाने वाली सूचना जिसके मण्डल की रिपोर्ट एवं इसके परिशिष्ट सम्मिलित हैं परन्तु इनमें वित्तीय प्रतिवेदन एवं उन पर हमारी अंकेक्षण रिपोर्ट सम्मिलित नहीं है। हमारी वित्तीय प्रतिवेदनों पर राय में अन्य सूचना सम्मिलित नहीं है एवं न ही हम उन पर किसी प्रकार का आश्वासन या निष्कर्ष प्रदान करते हैं।

वित्तीय प्रतिवेदनों के अंकेक्षण के संदर्भ में हमारी जिम्मेदारी अन्य सूचना को पढने की है, एवं ऐसा करते समय, विचार करना की उपलब्ध करवाई गई अन्य सूचना, वित्तीय प्रतिवेदनों से वस्तुत: भिन्न अथवा हमारे अंकेक्षण के दौरान प्राप्त जानकारी अथवा अन्यथा, अशुद्ध वर्णन प्रतीत होना तो नहीं।

हमारे द्वारा निष्पादित कार्य के आधार पर अगर ऐसा निष्कर्ष निकलता है कि अन्य सूचना में अशुद्ध वर्णन है, तो उसे रिपोर्ट करना हमारा दायित्व है। हमारे पास इस प्रकार की कोई रिपोर्ट प्रस्तुत करने योग्य नहीं है।

प्रबन्धकीय एवं जिन पर वित्तीय प्रतिवेदनों के संचालन का दायित्व हैं, का उत्तरदायित्व

कम्पनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 134(5) के अन्तर्गत कम्पनी के निदेशक मण्डल इस धारा में वर्णित मामलों के लिए उत्तरदायी हैं। जिसमें वित्तीय प्रतिवेदनों के तैयार करने जिसमें कम्पनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय उपलब्धि एवं नगदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दे सके एवं जो लेखांकन सिद्धान्त भारत में आमतौर

पर स्वीकार किये जाते हैं तथा अधिनियम की धारा 133 में विनिर्दिष्ट लेखा मानकों की अनुपालना करें। इस उत्तरदायित्व में शामिल है, कम्पनी की सम्पत्तियों की सुरक्षा एवं धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं की रोकथाम एवं पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानानुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों का संधारण करना, समुचित लेखा नीतियों का चयन करना एवं लागू करना, उचित एवं विवेकपूर्ण निर्णय करना तथा अनुमान लगाना तथा लेखा अभिलेखों की सम्पूर्णता एवं सत्यता सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी पर्याप्त आन्तारिक वित्तीय नियंत्रणों की संरचना, क्रियान्वेयन एवं अनुपालना करना जिससे वित्तीय प्रपत्र सही एवं स्पष्ट स्थिति दर्शाते हुए एवं धोखाधड़ी या त्रुटिवश महत्वपूर्ण मिथ्या, प्रकटीकरण से मुक्त तैयार एवं प्रस्तुत किये जा सकें।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए, प्रबन्धंन एवं निदेशक मण्डल कम्पनी की क्षमता का आंकलन करने के लिए उत्तरदायी है कि कम्पनी प्रगतिशील रहे एवं इस दिशा में कार्यशील होने के लिए प्रकटीकरण जैसा कि लागू होता है संबंधित मामलों और लेखांकन के आधार का उपयोग करते हुए जब तक प्रबन्धन एवं निदेशक मण्डल या तो कम्पनी को समाप्त करने या संचालन को रोकने का इरादा रखता है, या ऐसा करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

निदेशक मण्डल कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी उत्तरदायी है।

वित्तीरय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए अंकेक्षकों के उत्तंरदायित्व

हमारे उद्देश्य हैं कि इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त किया जाये कि वित्तीय विवरण पर एक अंकेक्षक की रिपोर्ट जिसमें हमारी राय सम्मिलित है, क्या सम्पूर्ण रूप से महत्वपूर्ण मिथ्या कथन से मुक्त है, चाहे धोखाधडी या त्रुटि के कारण से हो। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है लेकिन यह निश्चित नहीं करता कि लेखा मानकों के अनुरूप किया गया अंकेक्षण महत्वपूर्ण गलत कथन के विद्यमान होते हुए पता लगाने की लिए पर्याप्त है। धोखाधडी त्रुटि से मिथ्या कथन उत्पन्न हो सकता है। व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से की गई त्रुटि महत्वपूर्ण हो सकती है। अत: इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकत्ताओं द्वारा लिये गये आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित अपेक्षा की जा सकती है।

लेखा मानकों के आधार पर किये गये अंकेक्षण में यह भी सम्मिलित है कि हम व्यावसायिक मूल्यांकन एवं व्यवसायिक संशय को अंकेक्षण के दौरान बनाये रखते हैं। हम इसके साथ ही :

- वित्तीय प्रतिवेदनों में महत्वपूर्ण गलत कथन से उत्पन्न जोखिम का निर्धारण एवं आंकलन करना, चाहे वह धोखे या गलतियों से हो, ऐसे जोखिम को समझने के लिए अंकेक्षण की संरचना एवं प्रक्रियाओं का निर्धारण एवं हमारी राय प्रकट करने के लिए प्राप्त किये गये अंकेक्षण साक्ष्य जो पर्याप्त एवं उपयुक्त हों, धोखे के परिणामस्वरूप होने वाली महत्वपूर्ण गलत कथन का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से अधिक है, क्योंकि धोखे में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत कथन या अतिरिक्त नियंत्रण की अवहेलना करना।
- अंकेक्षण की प्रक्रियाओं का आकार बनाने के लिए जो इन परिस्थितियों में उपयुक्त हो, अंकेक्षण के लिए प्रासंगिक आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रक्रिया का विवरण प्राप्त करना। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (3) (1) के अन्तर्गत राय प्रकट करने का भी हमारा दायित्व है कि क्या कम्पनी में आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण प्रक्रिया विद्यमान है एवं उनका संचालन प्रभावी रूप से चल रहा हैं।
- प्रयुक्त वित्तीय नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन एवं लेखा अनुमानों की तर्कसंगिता तथा प्रबन्धन द्वारा किया गया संबंधित प्रकटीकरण।

- प्रबन्धन द्वारा लेखांकन के 'गोइंग कन्सरन' के आधार के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष एवं अंकेक्षण के दौरान प्राप्त किये गये साक्ष्य के आधार पर कि क्या ऐसी कोई महत्वपूर्ण अस्थिरता की स्थिति विद्यमान है जो किसी घटना अथवा परिस्थिति पर आधारित हो जो कम्पनी की निरन्तरता की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह डाले। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि अनिश्चितता की स्थिति विद्यमान है तो हमें वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण का अपने अंकेक्षण में ध्यान आकर्षिक करना आवश्यक है, अथवा यदि इस तरह के प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं तो हमारी राय को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षण की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त अंकेक्षण साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि भविष्य में होने वाली घटनाएं या स्थितियां कम्पनी की निरन्तरता पर प्रभाव डाल सकती हैं।
- वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन एवं प्रकटीकरण तथा क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेन–देन और घटनाओं को इस प्रकार से दर्शाते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त करते हैं।

हम उन लोगों के साथ संवाद करते हैं जो प्रबन्धन की जिम्मेदारी रखते हैं जिसमें, अन्य विषयों के अतिरिक्त, अंकेक्षण की व्यापकता एवं समय–निर्धारण, अंकेक्षण के महत्वपूर्ण निष्कर्ष एवं ऐसी किसी भी महत्वपूर्ण कमियों सहित जो अंकेक्षण के दौरान आंतरिक नियंत्रण में चिन्हित की गई हो।

हम प्रबन्धन की जिम्मेदारी रखने वालों को यह कथन भी देते हैं कि हमने स्वतंत्रता के साथ प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है। अत: उन सभी संबंधित व अन्य प्रकरणों में, हमारी स्वतंत्रता पर और जहां लागू हो, वहां न्यायोचित रूप से संबंधित सुरक्षा उपायों पर विचार किया जा सकता है।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. कम्पनी अधिनियम की धारा 143 की उपधारा 11 के अन्तर्गत भारत की केन्द्र सरकार द्वारा जारी कम्पनीज (अंकेक्षण रिपोर्ट) आदेश, 2016 (आदेश) की मांग के अनुसार, हम आदेश के पैरा 3 एवं 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर परिशिष्ट '3' के रूप में जहां तक प्रभावित है, प्रस्तुत कर रहे हैं।
2. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अधीन नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा जारी किये गये निर्देशानुसार प्रतिवेदन परिशिष्ट ''4'' के रूप में प्रस्तुत करते हैं।
3. अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, हमारे अंकेक्षण के आधार पर हम प्रतिवेदित करते हैं कि :

   (ए) हमने समस्त सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण मांगे एवं नीचे दी गई क्वालीफाईड ऑपिनियन के पैरा के लिए आधार में वर्णित मामलों के प्रभावों को छोड़कर, प्राप्त कर लिये हैं जो हमारी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार अंकेक्षण के लिए आवश्यक थे।

   (बी) ऊपर दी गई क्वालीफाईड ऑपिनियन के पैरा के लिए आधार में वर्णित मामलों के प्रभावों को छोड़कर, हमारी राय में कम्पनी ने विधि द्वारा अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकें संधारित की है, जैसाकि उन पुस्तकों की हमारे द्वारा जांच से प्रकट होता है।

   (सी) इस प्रतिवेदन में संदर्भित तुलन–पत्र, लाभ–हानि प्रपत्र तथा नगद प्रवाह प्रपत्र लेखा पुस्तकों से मेल खाता है।

   (डी) कम्पनी द्वारा ऊपर दी गई क्वालीफाईड ऑपिनियन के पैरा के लिए आधार में वर्णित मामलों के प्रभाव को छोड़कर, हमारी राय में उपरोक्त् वित्तीरय प्रपत्र अधिनियम की धारा 133 सहपठित कम्पनी

(लेखा) 2014 के नियम 7 जिनमें लेखा मानक अंकित हैं, लेखा मानक 28 (सम्पत्ति की क्षति) एवं लेखा मानक–29 (प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक सम्पत्ति) की अनुपालना की हैं।

(ई) हमारी राय में कम्पनी के ऊपर दी गई क्वालीफाईड ऑपिनियन के पैरा के लिए आधार में वर्णित मामलों से कम्पनी की कार्यशीलता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

(एफ) यह सरकारी कम्पनी होने के कारण अधिसूचना दिनांक 5 जून, 2015 के अन्तर्गत कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 (2) के प्रावधानों की अनुपालना से मुक्त है।

(जी) अभिलेखों का संधारण और अन्य मामलों से संबंधित क्षमता उपरोक्त क्वालीफाईड ऑपिनियन के लिए आधार में दिये गये विवरण अनुसार है।

(एच) आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता के संबंध में कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर एवं इस प्रकार के नियंत्रण की परिचालन पर प्रभावशीलता के संबंध में हमारी पृथक से रिपोर्ट परिशिष्ट '5' का संदर्भ लें।

(आई) कम्पनीज़ (अंकेक्षण एवं अंकेक्षक) नियम 2014 के नियम 11 के अनुसार अंकेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित किये जाने वाले अन्य मामले हमारी राय में तथा हमारी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार इस प्रकार हैं :

(i) कम्पनी ने अपने वित्तीय विवरणों में लम्बित विवादित प्रकरणों के वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों को घोषित किया है। टिप्पणी वित्तीय विवरण में आकस्मिक देयताएं के अन्तर्गत महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में नोट नं. (बी) में दिया गया है। हालांकि कर्मचारियों द्वारा आर.एस.आई.सी. के विरूद्ध शुरू किये गये लम्बित वाद जो अपुष्ट/अप्रमाणित है, वित्तीय विवरण में घोषित नहीं किये गये हैं।

(ii) कम्पनी में कोई दीर्घावधि अनुबंध मय वायदा अनुबंधों के नहीं है जिससे कम्पनी को भविष्य में भारी हानि होने की संभावनाएं हों।

(iii) कम्पनी द्वारा निवेशक शिक्षण एवं संरक्षण कोष में अन्तरित करने योग्य कोई राशि नहीं थी।

कृते बाफना एण्ड ऐसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउन्टेंटस्
फर्म पंजीकरण संख्या : 001408सी

सिद्धार्थ बाफना
साझेदार
सदस्यता संख्या : 405227
यूडीआईएस: 20405227एएएएईजे2294

स्थान : जयपुर
दिनांक : 26.10.2020

परिशिष्ट – '1' स्वततंत्र अंकेक्षणों का प्रतिवेदन

क्वालिफिकेशन ऑपिनियन का आधार

भाग–I (टिप्पपणियां जिनका वित्तीय विवरणों पर प्रभाव का पता लगाया जा सका)

1. कोयले के क्रय के लिए वित्तीय वर्ष 2008–09/2009–10 में मैसर्स एस.ई.सी.एल. को दी गई अग्रिम राशि में से 5.04 लाख रूपये शेष है जो अभी भी मैसर्स एस.ई.सी.एल. के पास हैं। कम्पनी इस राशि को व्यापार स्वीकार योग्य में दर्शाया गया है। कम्पनी ने इसकी वसूली के लिए न तो कोई ठोस प्रयास किया है और ना ही 2009–10 से इसका शेष पुष्टिकरण किया है। इसलिए हमारी राय में इस राशि की वसूली संदिग्ध है।

2. कम्पनी द्वारा लघु सावधि ऋण एवं अग्रिम के मद में रू. 1037699/– की राशि को माल एवं सेवाकर के अन्तर्गत सेवाकर लेनदारी एवं के के सी तथा एस बी सी में दर्शाये जा रहे हैं। क्योकि कम्पनी द्वारा ट्रांस–1 दाखिल नहीं किया है इसलिए यह मांग निरस्त हो चुकी है एवं इसे लाभ एवं हानि प्रपत्र में दर्शाया जायेगा।

3. महत्वपूर्ण लेखा नीतियां एवं टिप्पणियां के अन्तर्गत आकस्मिक देयताओं के संदर्भ में टिप्पणी क्रमांक (बी) (i), जो वित्तीय विवरण का भाग है, के अन्तर्गत कम्पनी द्वारा आकस्मिक देयताओं में 355.25 लाख रूपये दर्शाये हैं जो कम्पनी के विरूद्ध दावे हैं एवं जिन्हे देनदारियां नहीं माना गया है। इस राशि में शास्तियां/वसूलियां/ब्याज/आर्थिक किराया इत्याादि सम्मिलित हैं जिसे विभिन्न राजकीय विभागों (यथा रीको, कस्टम विभाग, गृहकर, नगरीय विभाग इत्यादि) द्वारा मांग की गई है। इसमें से 206.70 लाख रूपये के ऐसे दावे/देनदारियां हैं जो सक्षम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन हैं। तथापि 148.55 लाख रूपये की शेष राशि के संबंध में कम्पनी द्वारा कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

4. तृतीय पक्ष के पास रखे गये सामान की पुष्टि उपलब्ध नहीं है जिसमें शिल्पकारों के पास 20402/– रूपये एवं अन्य के पास 21920/– का सामान कई वर्षों से है। कम्पनी द्वारा वसूली के लिए न तो इसके लिए कोई ठोस प्रयास किये एवं न ही पुष्टि की। समय अवधि को ध्यान में रखते हुए उक्त राशि की वसूली संदिग्ध है।

भाग–II (टिप्पणियां जिनका वित्तीय विवरणों पर प्रभाव का पता लगाया जा सका)

1. संचालन एवं परिवहन के ठेकेदारों से वसूली प्रमाणीकरण पर आधारित है इसलिए इस सम्बन्ध में असहमति अथवा विवाद के बारे में जानकारी नहीं है अत: इसका वित्तीय प्रकरणों पर प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सकता।

2. कम्पनी आयकर एवं आयकर की वापसी के प्रावधान अनुसार मिलान नहीं कर रही है। पर्याप्त उपयुक्त साक्ष्य के अभाव में हम आयकर वापसी की राशि को लघु अवधि ऋण एवं अग्रिम में दर्शाने एवं उक्त राशि की वसूली योग्य वापसी एवं परिणामस्वरूप संलग्न वित्तीय विवरण पर होने वाले प्रभाव पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

3. मैसर्स आर एस आर डी सी सी लि. के बकाया भुगतान का निपटारा नहीं करने के संबंध में नोट संख्या (7)

(ए) का संदर्भ लें। कम्पनी 4148150/– रूपये को दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम (स्थाई सम्पत्ति) के मद में पूंजीगत माल के लिए अग्रिम के रूप में दर्शा रही है। इस राशि का सम्बन्ध कई वर्ष पूर्व मैसर्स आरएसआरडीसी लि. द्वारा किये गये निर्माण कार्य से है निर्माण कार्य पूर्व वर्षों में पूर्ण हो चुका है। कम्पनी द्वारा पूंजीगत व्यय में भी इसका प्रावधान किया है। किन्तु इस अग्रिम को किये गये प्रावधान में समायोजित नहीं किया। कम्पनी मैसर्स आरएसआरडीसीसी लि. से अच्छी तरह से लेखों का मिलान करने में विफल रही। अन्तिम पुष्टि एवं पर्याप्त उपयुक्त साक्ष्य के अभाव में हम इसकी मूल कीमत एवं संलग्न वित्तीय विवरण पर इसका परिणामी प्रभाव, अगर कोई है, पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

4. ''अन्य चालू देयताएं'' शीर्षक में देय ब्याज के मद में दर्शाई गई राशि रूपये 3,99,854/– के संदर्भ में कोई सूचना उपलब्ध नहीं होने के संबंध में टिप्पणी क्रमांक 4 (ए) का संदर्भ ले। पर्याप्त उपयुक्त साक्ष्य के अभाव में, हम इसका मूल कीमत दर्शाने एवं इसका संलग्न वित्तीय विवरण पर परिणामी प्रभाव, अगर कोई हो, पड़ने पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते।

5. आई.टी.पी.ओ., दिल्ली के नाम 7.03 लाख रूपये की राशि को अग्रिम दिखाया गया है एवं इसे लघु अवधि ऋण एवं अग्रिम में वर्गीकृत किया गया है। यह राशि पुष्टि के अधीन है। इसके समर्थन में उपयुक्त साक्ष्य के अभाव में, हम इस राशि की मूल कीमत दर्शाने के सम्बन्ध में एवं इसके फलस्वरूप संलग्न वित्तीय अभिलेखों पर पड़ने वाले प्रभाव के सम्बन्ध में राय प्रकट करने में असमर्थ हैं।

6. एम.एस.एम.ई. लेनदारों को विलम्ब से किये गये भुगतान पर देय ब्याज के सम्बन्ध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसके समर्थन में उपयुक्ति साक्ष्य के अभाव में हम देय ब्याज की राशि की मात्रा एवं इसके फलस्वरूप संलग्न वित्तीय प्रतिवेदनों पर पड़ने वाले प्रभाव का आंकलन नहीं कर सकते।

7. समस्त देय प्रतिभूति राशि को अन्य दीर्घकालीन देनदारियां दर्शाया गया है। जबकि इसमें ऐसी राशि सम्मिलित हैं जिसे प्रेषण की तिथि से 12 माह के भीतर सम्बन्धित को लौटाया जाना है। इससे वर्गीकरण में त्रुटि हुई। इसे लघु अवधि देनदारियों में वर्गीकृत करना चाहिए। इसके समर्थन में उपयुक्त साक्ष्य के अभाव में, हम इस राशि का एवं इसके फलस्वनरूप संलग्न वित्तीय प्रतिवेदनों पर पड़ने वाले प्रभाव का आंकलन नहीं कर सकते।

8. जमा राशि वाले देनदारों को लेनदारों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है एवं दूसरी ओर ऋणी लेनदारों को देनदारों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इसके फलस्वरूप चालू सम्पत्तियों के वर्गीकरण में त्रुटि हुई। इसके समर्थन में उपयुक्त साक्ष्य के अभाव में, हम संलग्न वित्तीय प्रतिवेदनों पर वर्गीकरण की त्रुटि से पड़ने वाले प्रभाव का आंकलन नहीं कर सकते।

9. ए.एस. 28 : परिसम्पत्तियों की क्षति ''एक प्रतिष्ठान को प्रत्येक वार्षिक लेखों की तिथि को आंकलन करना चाहिए कि क्या कोई परिसम्पत्ति क्षतिग्रस्त है।'' कम्पनी सूचित अचल सम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं कर रही है। क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों की क्षति से हुई हानि का प्रावधान नहीं किया गया है। इसके समर्थन में उपयुक्त साक्ष्य के अभाव में हम संलग्न वित्तीय प्रतिवेदनों पर सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण की राशि से पड़ने वाले प्रभाव का आंकलन नहीं कर सकते।

10. कम्पनी द्वारा समय-समय पर परिसम्पत्तियों के वर्गीकरण की संदिग्ध या अच्छे के रूप में समीक्षा नहीं की जाती है। इससे ऐसी परिसम्पत्तियां जो वास्तव में संदेहप्रद है परन्तु उनका अच्छे में वर्गीकरण करने से प्रावधानों में प्रभाव होता है। इसके समर्थन में उपयुक्त साक्ष्यो के अभाव में हम संलग्न वित्तीय प्रतिवेदनों पर पड़ने वाले प्रभाव का आंकलन नहीं कर सकते।

कृते बाफना एण्ड ऐसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउन्टेंटस्
फर्म पंजीकरण संख्या : 001408सी

सिद्धार्थ बाफना
साझेदार
सदस्यता संख्या : 405227
यूडीआईएस: 20405227एएएईजे2294

स्थान : जयपुर
दिनांक : 26.10.2020

स्वतंत्र अंकेक्षकों की रिपोर्ट का परिशिष्ट – '2'

महत्वपूर्ण मामले

(इन मामलों के संबंध में हमारी राय निर्धारित नहीं है)

1. व्यापारिक लेनदारियां, व्यापारिक देनदारियां/बकाया देनदारियां, प्रतिभूति राशि संपुष्टि एवं मिलान के अधीन रहती है। इनमें कुछ पुराने/बिना मेल किये हुए, जिनकी संपुष्टि/मिलान/समाधान शेष है, भी सम्मिलित हैं।

2. वित्तीय वर्ष 2017–18 से सम्बन्धित 24 लाख रूपये कुल विक्रय राशि पर छूट (टीओडी) एवं 12.48 लाख रूपये की एसएसआई छूट को वित्तीय अभिलेखों में निरन्तर चालू देयताओं में दर्शाया जा रहा है। इस विषय में प्रबन्धन का निर्णय कि इस राशि को प्रतिष्ठानों को भुगतान कर दिया जायेगा अथवा यह आरएसआईसी की आय रहेगा, अनिर्णित है।

3. कम्पनी के व्यवसायों पर कोविड–19 महामारी का समग्र प्रभाव भविष्य के स्वास्य और सरकारी स्तरों पर किये गये सामाजिक–आर्थिक उपायों के आधार पर भिन्न हो सकता है। अत: इसलिये विश्वसनीय रूप में पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है।

4. कोविड–19 के कारण, प्रबन्ध निदेशक द्वारा लॉकडाउन के प्रारम्भ होने की अवधि यथा 21.03.2020 से 30.09.2020 तक अंतदेर्शीय कंटेनर डिपो एवं एयर कार्गो कॉम्लेक्स के ठेकेदारों के लिए एमजीआर (न्यूनतम गारंटी राजस्व) और राजस्थली दुकानों में सभी क्यू एस टी काउन्टरों के लिए न्यूनतम गारंटी क्यू एस टी राशि और लाईसेंस शुल्क एवं राजस्थली दुकानों में अप्रुवल काउन्टरों पर सभी सामान के हैडलिंग राशि की छूट दी गई है। उपरोक्त अवधि के लिए क्यूएसटी कांउटर के माध्यम से वास्तविक बिक्री पर 25 प्रतिशत कमीशन लेने का निर्देश दिया गया। यह निर्णय 02.07.2020 को लिया गया। प्रबन्ध निदेशक के निर्देशानुसार आय को संलग्न वित्तीय विवरणों के अनुसार बुक किया गया है। हालांकि प्रबन्ध निदेशक के इस निर्णय को निदेशक मण्डल द्वारा अपनी दिनांक 26.10.2020 को आयोजित हुई बैठक में, 31.03.2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लेखा पुस्तकों एवं वित्तीय विवरणों को अपनाने से पहले कार्योत्तर अनुमोदन किया गया।

5. 31 मार्च 2020 तक, कम्पनी की 35.38 लाख रूपये कीमत की वस्तुसूची थी। वस्तुसूची की मौजूदगी एवं मूल्यांनकन अंकेक्षण का केन्द्र बिन्दू होता है। कोरानावायरस महामारी (कोविड–19) के मद्देनजर भारत सरकार द्वारा लगाये गये राष्ट्रव्यापी बन्द के कारण, हमें सूचित किया गया कि इस तिथि के तुलन–पत्र तक, विभिन्न स्थानों पर संधारित भौतिक सम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया जा सका। हमने भौतिक सम्पत्तियों की स्थिति एवं मूल्यांकन के लिए वैकल्पिक अंकेक्षण प्रक्रिया का पालन किया है। यह सुनिश्चित करते हुए कि आकार की प्रभावशीलता, सूची में परिवर्तन से उसके नियंत्रण से कार्यान्वयन एवं रखरखाव पर प्रभाव ताकि यह सुनिश्चित हो कि वित्तीय विवरण की तारीख के अतिरिक्त किसी अन्य तिथि पर वस्तुसूची के भौतिक सत्यापन का संचालन उचित है। निष्पादित प्रक्रिया हमें विषयवस्तु की स्थिति एवं इसके मूल्यांकन के संदर्भ में निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त प्रमाण देती है।

कृते बाफना एण्ड ऐसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउन्टेंटस्
फर्म पंजीकरण संख्या : 001408सी
सिद्धार्थ बाफना
साझेदार
सदस्यता संख्या : 405227
यूडीआईएस: 20405227एएएएईजे2294

स्थान : जयपुर
दिनांक : 26.10.2020

स्वतंत्र अंकेक्षकों की रिपोर्ट का परिशिष्ट – 3

(दि राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड के सदस्यों को दी गई हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के भाग अन्य विधिक एवं नियामक अनिवार्यताओं के अन्तर्गत पैरा 1 का संदर्भ लें)

ऐसे नियंत्रण जो हमने उचित पाये एवं हमारे अंकेक्षण हेतु उपलब्ध करवाई गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के आधार पर हम यह सूचित करते हैं कि :

1. सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

(ए) कम्पनी द्वारा अचल सम्पत्तियों के उचित अभिलेख संधारित नहीं किये गये हैं।

(बी) प्रबन्धन द्वारा अचल सम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं करवाया गया है। तदानुसार अचल सम्पत्तियों की कीमत लेखा पुस्तकों के अनुसार ली गई है। इस प्रकार भौतिक सत्यापन एवं लेखा मिलान के लम्बित, हम यह सूचित करने में असमर्थ हैं कि भौतिक गणना एवं अचल सम्पत्तियों के लेखों में कोई महत्वपूर्ण विसंगति है।

(सी) कम्पनी के पास निम्न सम्पत्तियों का उचित स्वामित्व विलेख नहीं हैं।

क्र.सं.	सम्पत्ति का ब्यौरा	क्षेत्रफल	खातों में अंकित मूल्य
1.	राजस्थली कोलकाता (गेरीहाट) का शोरूम	88.07 वर्गमीटर (पट्टे पर)	क्र.सं. 1 एवं 2 की संयुक्त कीमत 10.35 लाख रूपये
2.	आवासीय फ्लेट कोलकाता	750 वर्गमीटर (पट्टे पर)	
3.	राजस्थली हैण्डीक्राफ्ट माल एम.आई. रोड जयपुर में (जमीन व शोरूम)	2020 वर्ग गज (पट्टे पर)	भूमि की कीमत 313.70 लाख रूपये है। (कम्पनी के पास नगर निगम जयपुर द्वारा जारी केवल आवंटन पत्र है।) राजस्थली भवन एवं हैण्डीक्राफ्ट माल का ह्रास मूल्य 213.09 लाख रूपये एवं 576.04 लाख रूपये हैं।
4.	मुख्यालय भवन (उद्योग भवन, जयपुर)	33944 वर्ग फीट (पूर्ण स्वामित्व का)	भूमि की कीमत 13.69 लाख रूपये एवं भवन की लागत 60.10 लाख रूपये है। (कम्पनी के पास लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी कब्जा पत्र है।)
5.	कच्चा माल आगार, भरतपुर	1264 वर्ग मीटर (पूर्ण स्वामित्व का)	भूमि की कीमत 0.25 लाख रूपये (सत्यापन हेतु मूल दस्तावेज हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये)
6.	आई.सी.डी. सेक्टर–9 भिवाडी	9112.04 वर्ग मीटर (पट्टे पर)	भूमि की कीमत 48.75 लाख रूपये। (कम्पनी के पास यू.आई.टी., अलवर द्वारा जारी केवल कब्जा पत्र है।)

2. सामान की सूचियां

(ए) कोरोना वायरस महामारी (कोविड–19) के मद्देनजर भारत सरकार द्वारा लगाये गये राष्ट्रव्यापी बन्द के कारण, हमें सूचित किया गया कि तुलन–पत्र की तिथि तक विभिन्न स्थानों पर संधारित भौतिक सम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया जा सका। इससे ठीक पिछले वर्ष भौतिक सत्यापन वित्तीय वर्ष 2018–19 में किया गया था। हमारी राय में ऐसे सत्यापन की आवृत्ति पर्याप्त नहीं है एवं इसे बढ़ाना चाहिये। अचल सम्पत्तियों की कीमत लेखा पुस्तकों के अनुसार ली गई है। भौतिक सत्यापन एवं लेखा मिलान के लम्बित हम यह सूचित करने में असमर्थ हैं कि भौतिक गणना एवं अचल सम्पत्तियों के लेखों में कोई महत्वपूर्ण विसंगति है।

(बी) इसके अतिरिक्त, 0.20 लाख रूपये मूल्य के सामान जो तृतीय पक्ष– कारीगरों के पास एवं 0.22 लाख रूपये का सामान अन्य के पास कई वर्षों से पड़ा है, की कोई पुष्टि उपलब्ध नहीं है। पुराना प्रकरण होने के कारण 0.42 लाख रूपये संदिग्ध है जिसके सम्बन्ध में लेखों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

3. कम्पनी अधिनियम की धारा 189 के अनुसार रखे गये रजिस्टर में उल्लेखित कम्पनी द्वारा किसी भी कम्पनियों, फर्मों एवं दायित्व कर्म या पक्षकार को सुरक्षित अथवा असुरक्षित ऋण स्वीकृत नहीं किया है। अत: आदेश की धारा 3 के अनुच्छेद (iii)(ए) से (सी) लागू नहीं होते हैं इसलिए कोई टिप्पसणी नहीं की गई है।

4. हमारी राय में एवं हमें दी गई सूचनाओं के अनुसार कम्पनी द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 के प्रावधानों के अन्तर्गत अपने किसी निदेशक अथवा अन्य किसी व्यक्ति को जिसमें निदेशक रूचि रखते हो, न ही ऋण स्वीकृत किया है एवं न ही ऐसा कोई ऋण जो बही ऋण में वर्णित हो एवं न ही कोई प्रत्याभूति अथवा प्रतिभूति किसी ऐसे ऋण के लिए जो उसने लिया हो अथवा ऐसे किसी अन्य व्यक्ति ने लिया हो, की गई है। हालांकि कम्पनी द्वारा अधिनियम की धारा 186 के उपयुक्त प्रावधानों जिसमें ऋण स्वीकृति, निवेश, प्रत्याभूति एवं प्रतिभूति देना आदि सम्मिलित हैं, की पालना की गई है।

5. ऐसी अग्रिम राशि विद्यमान है जिसे सामान की आपूर्ति अथवा सेवा प्रदान करने में अग्रिम स्वीकार करने की तिथि से 365 दिवस के भीतर समायोजित नहीं किया गया है एवं ऐसे अग्रिम किसी न्यायालय में कानूनी कार्यवाही के आशय से लम्बित नहीं है। अत: ऐसे अग्रिम निक्षेप के रूप में मानने योग्य है। कम्पनी द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश एवं कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 से 76 अथवा कोई अन्य प्रासंगिक प्रावधान एवं इस आधार पर निर्धारित नियमों के अन्तर्गत दिये गये निर्देशों की पालना नहीं की है। कम्पनी लॉ बोर्ड (सी एल बी) अथवा राष्ट्रीय कम्पनी लॉ ट्रब्यूनल (एन सी एल टी) अथवा आर बी आई अथवा उच्च न्यायालय अथवा अन्य कोई ट्रब्यूनल द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।

6. जैसा हमें सूचित किया गया है, कि कम्पनी द्वारा की जा रही गतिविधियों के संबंध में, केन्द्रीय सरकार द्वारा कम्पनी अधिनियम की धारा 148 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जैसा निर्दिष्ट किया गया है किसी लागत के अभिलेख संधारित करने के निर्देश नहीं दिये गये हैं।

7. वैधानिक बकाया के सम्बन्ध में

(ए) हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं एकत्र की गई सूचना एवं किये गये पुष्टिकरण के आधार पर, हम सूचित करते हैं कि कम्पनी अविवादित वैधानिक देयताएं मय भविष्य निधि, निवेशक शिक्षा और सुरक्षा फण्ड, कर्मचारी बीमा निधि, आयकर, सम्पत्ति कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेस एवं अन्य

महत्वपूर्ण वैधानिक देयताओं जो इन पर लागू हैं, को सक्षम प्राधिकारों के पास जमा करने में प्राय: नियमित है। इसके अतिरिक्त हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कोई अविवादित उपरोक्त वर्णित वैधानिक देयताएं निम्नलिखित को छोड़कर दिनांक 31.03.2020 को बकाया नहीं थी जो कि उनकी देय तिथि से छ: माह से अधिक अवधि के लिए अदत्त रही हो।

1. पुरानी भविष्य निधि की राशि रू. 108085/-
2. पुराना विक्रय कर राशि रू. 63463/-
3. व्यवसायिक कर राशि रू. 6073/-
4. कम्पनी पट्टा किराया कर, भवन कर के भुगतान में नियमित नहीं है। निगम के अनुसार दिनांक 31.03.2020 तक निम्न अविवादित राशि का भुगतान करना शेष है (जिसमें मांग के आधार पर ब्याज एवं शास्ति सम्मिलित है।)

वैधानिक देयता का नाम	देय की प्रकृति	राशि (लाखों में)	राशि किस अवधि से संबंधित है
(अविवादित) लीज किराया (मय ब्याज सहित)	आई.सी.डी. भिवाडी	155.16	अप्रेल 1999 से मार्च 2019
भवन कर और यू.डी. टैक्स	आरएसआईसी, मुख्यालय, जयपुर	3.89	मार्च 2020 तक

इसके अतिरिक्त यह देखा गया कि निगम के पास गृह कर की मांग के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी उपलब्ध नहीं है इसलिए हम इस पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

5. निगम के आयकर से संबंधित खाते मिलान किये जा रहे हैं एवं आयकर विभाग द्वारा विभिन्न वर्षों में जारी की गई मांग की सही सही जानकारी एवं उनका निगम के खातों को किये गये मिलान की सही सूचना भी निगम के पास उपलब्ध नहीं है। अत: इस विषय में हम कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकते हैं।

6. निगम में जीएसटी से सम्बन्धित खाते अनुपयुक्त हैं। जीएसटी की विवरणियों का लेखा पुस्तकों के साथ मिलान निगम में उपलब्ध नहीं है। अत: हम इस पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

(बी) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी पर आयकर/विक्रय कर/सम्पत्ति कर/सेवा कर/सीमा शुल्क/उत्पाद शुल्क/सैस का कोई वैधानिक कर का दायित्व लम्बित नहीं है जो किसी विवाद के कारण जमा नहीं करवाया हो, केवल निम्न को छोड़कर जिसमें विवादास्पद होने के कारण निगम द्वारा विक्रय कर एवं सेवा कर जमा नहीं करवाये हैं:

देय राशि का नाम	राशि (रूपये में)	राशि किस अवधि से संबंधित है	विवाद कहां लम्बित है
आरएसटी	76,335	2005–06	कम्पनी ने वांछित दस्तावेज/जानकारी सक्षम प्राधिकारी को मांग अपस्त करने के लिए प्रस्तुत कर दिये हैं।
वेट	68,513	2006–07	
वेट	60,132	2007–08	
वेट	51,14,300	2011–12	वैट रिटर्न में मिलान नहीं होने बाबत कम्पनी द्वारा विभाग को ज्ञापन दिया है।
वेट	29,87,434	2012–13	
वेट	54,73,680	2013–14	
वेट	60,85,030	2014–15	
वेट	20,70,490	2015–16	
वेट	18,33,710	2016–17	
वेट	58,98,750	2017–18	
सीएसटी	845	2010–11	
कुल	**2,96,69,219**		
(इन मांगों पर ब्याज देय है)			
सर्विस टैक्स	2,16,340	2006–07 एवं 2007–08	सीसटेट – सीमा शुल्क सेवा कर अपील प्राधिकरण एवं आयुक्त अपील
आयकर	314677	31.03.2020 तक	टीडीएस मांग

8. ऋण एवं उधार का पुर्नभुगतान

हमारी राय में एवं हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के आधार पर कम्पनी द्वारा देय राशि का निम्न पुर्नभुगतान करने में देरी की:

क्र.सं.	नाम	राशि रू.	से देय
1.	राजस्थान सरकार	2500000	26 मार्च 2011
2.	राजस्थान सरकार	2500000	26 मार्च 2012
3.	राजस्थान सरकार	2500000	26 मार्च 2013

दिनांक 26.07.2018 को आयोजित एसआर एफ के प्रबन्धन की बैठक के आधार पर, आर एस आई सी के प्रबन्धन द्वारा एस आर एफ को देय ऋण एवं ब्याज को दीर्घ अवधि उधार माना है। प्रबन्धन का विचार है कि इसका संदर्भित तिथि से 12 माह के भीतर पुर्नभुगतान देय नहीं होगा। अत: इसे देरी से किया गया पुर्नभरण नहीं माना जाता।

9. अंकेक्षण की अपनाई गई पद्धति एवं प्रबन्धन द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना एवं स्पष्टीकरण पर आधारित, कम्पनी द्वारा प्रारम्भिक सार्वजनिक प्रस्ताव अथवा अतिरिक्त सार्वजनिक प्रस्ताव/ऋण उपकरणों सहित एवं अवधि ऋण नहीं लिया है। तदनुसार आदेश की धारा 3 (ix) में दिये गये प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते एवं इसलिए कोई टिप्पणी नहीं की।

10. हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, इस वित्तीय वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा या कम्पनी पर उसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा किसी प्रकार की धोखाधड़ी का मामला न तो जानकारी में आया न ही सूचित किया।

11. यह राज्य सरकार की कम्पनी होने के कारण, दिनांक 05.06.2015 को जारी अधिसूचना के अन्तर्गत कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधानों की अनुपालना से मुक्त है। इसलिए आदेश का पैरा 3 (xi) लागू नहीं है।

12. हमारी राय में एवं हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के आधार पर, कम्पनी एक निधि कम्पनी नहीं है, अत: आदेश का अनुच्छेद 3 (xii) कम्पनी पर लागू नहीं होता।

13. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा अभिलेखों के किये गये परीक्षण के अनुसार कम्पनी द्वारा पक्षकारों के साथ किया गया व्यवहार कम्पनी अधिनियम की धारा 177 एवं 188 के अनुसरण में है। जहां उपयुक्त है वहां लेखा मानकों के अनुसार वित्तीय प्रतिवेदनों में प्रकटीकरण किया गया है।

14. अंकेक्षण में अपनाई गई पद्धति एवं प्रबन्धन द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना एवं स्पष्टीकरण पर आधारित, कम्पनी द्वारा आलोच्य वर्ष के दौरान कोई तरजीह आवंटन या शेयरों को निजी प्लेसमैंट या पूर्ण या आंशिक रूप से परिवर्तनीय ऋण पत्र जारी नहीं किये हैं। तदनुसार आदेश की धारा 3 (xiv) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं एवं इसलिए कोई टिप्पणी नहीं की।

15. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा कम्पनी के अभिलेखों के किये गये परीक्षण के अनुसार, कम्पनी ने अपने निदेशकों या उनसे जुड़े लोगों के साथ वर्ष के दौरान किसी भी प्रकार के कोई गैर नगदी व्यवहार नहीं किये हैं। अत: आदेश की धारा 3 (xv) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते।

16. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा कम्पनी के अभिलेखों के किये गये परीक्षण के अनुसार, कम्पनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45-1 (ए) के तहत पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है। अत: आदेश की धारा 3 (xvi) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते।

कृते बाफना एण्ड ऐसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउन्टेंटस्
फर्म पंजीकरण संख्या : 001408सी
सिद्धार्थ बाफना
साझेदार
सदस्यता संख्या : 405227
यूडीआईएस: 20405227एएएएईजे2294

स्थान : जयपुर
दिनांक : 26.10.2020

स्वतंत्र अंकेक्षण की रिपोर्ट का परिशिष्ट – '4'

(ए) अधिनियम की धारा 143(5) के अनुसार हमारा कथन निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	निर्देश	की गई कार्यवाही	वित्तीय वक्तव्यों पर प्रभाव
1.	क्या कम्पनी के पास सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन की प्रक्रिया प्रणाली है? अगर हां, लेखांकन लेनदेन की प्रक्रिया अगर सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के बिना की जाये तो उसका अखण्डता पर प्रभाव एवं इसका वित्तीय भार, अगर कोई हो वर्णन करें।	कम्पनी के पास सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन की प्रक्रिया प्रणाली नहीं है। लेखा पुस्तकों का वर्ष के अन्त में आई टी प्रणाली के माध्यम से इकाईवार लेखा पुस्तकों का संधारण किया जाता है। लेखा पुस्तकों के एकीकरण हस्त लेखन से किया जाता है। इसके अतिरिक्त, कुछ इकाइयों यथा राजस्थली जयपुर, कोलकता एवं दिल्ली की लेखा पुस्तकें हस्त लेखन से संधारित की जाती हैं। आई टी प्रणाली में एक एकल प्रविष्टि से कई वित्तीय लेनदेन संयुक्त रूप से पारित/बुक किये जाते हैं। इससे प्रथम कर्त्ता एवं जांचकर्त्ता के सिद्धांत का पालन नहीं किया जाता। आई टी प्रणाली में अधिकांश प्रविष्टियां बिना किसी कथन के की जाती हैं। इसमें कोई केन्द्रीय ई आर पी प्रणाली नहीं है। आई टी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के नकारात्मक प्रभाव हैं। जैसा कि लेनदारो को अधिक भुगतान, जी एस टी क्रेडिट का कम उत्क्रमण, टी डी एस की अनुपालन का सत्यापन।	हम लेखों की प्रमाणिकता पर आई टी प्रणाली के बाहर लेखां–कन लेनदेन के प्रसंस्करण के प्रत्यक्ष वित्तीय प्रभाव की मात्रा निर्धारित करने में असमर्थ हैं।
2.	क्या किसी मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन किया गया अथवा कर्ज/ऋण/ ब्याज इत्यादि की राशि के अधित्याग/ बट्टेखाते डालने के प्रकरण जिसमें ऋणदाता द्वारा कम्पनी के साथ किया हो जबकम्पनी ऋण चुकाने में ससमर्थ हो?	हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुरूप, मौजूदा ऋण के पुर्नगठन या कर्ज/ऋण/ब्याज की राशि के अधित्याग/ बट्टेखाते डालने का कोई प्रकरण नहीं है।	कोई नहीं।

3.	क्या केन्द्रीय / राज्य सरकार की संस्थाओं से विशिष्ट योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त की गई/ प्राप्त करने योग्य धनराशि का नियम एवं शर्तों के अनुसार समाधान/ उपयोग किया गया? भिन्न्ता वाले प्रकरणों की सूची।	प्राय: वर्ष के दौरान विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त धन का समाधान/उपयोग नियम एवं शर्तों के अनुसार किया जाता है।	कोई नहीं।

(बी)

क्र.सं	कम्पनी विशेष निर्देश	टिप्पणी
1.	क्या केन्द्रीय / राज्य सरकार की संस्थाओं से विशिष्ट योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त की गई / प्राप्त करने योग्य धनराशि का समाधान/उपयोग किया गया ? भिन्न्ता वाले प्रकरणों की सूची।	प्राय: वर्ष के दौरान विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त धन का समाधान/उपयोग नियम एवं शर्तों के अनुसार किया जाता है।
2.	क्या बैंक गारंटी को समय पर पुर्नवैधीकरण किया गया?	हमें दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरण के अनुसार 31.03.2019 को कोई बैंक गारंटी नहीं है। चालू वर्ष में पुर्नवैधीकरण में देरी करने का कोई प्रकरण नहीं है।
3.	व्यापारिक प्राप्तियां, व्यापारिक देयताओं, सावधि जमाओं, बैंक खातों एवं नगद प्राप्त की गई राशि का पुष्टिकरण पर टिप्पणी	व्यापार प्राप्तियों एवं व्यापार देयताओं की शेष राशि की पुष्टि निगम द्वारा प्राप्त नहीं की गई है। इसका हमारे द्वारा अंकेक्षण रिपोर्ट में भी संज्ञान लिया गया है। वर्ष के अन्त में बैंक में शेष राशि की पुष्टि की जाती है। सावधि जमा की अंतवैधता का सावधि जमा की पावती पत्र से सत्यापन किया जाता है। हालांकि सावधि जमा की शेष राशि का बैंक से सत्यापन नहीं किया जाता है। प्रबन्धन द्वारा नगदी का भौतिक सत्यापन किया जाता है एवं कोई विसंगति उनके द्वारा नहीं देखी/सूचित की गई।

कृते बाफना एण्ड ऐसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउन्टेंटस्
फर्म पंजीकरण संख्या : 001408सी

सिद्धार्थ बाफना
साझेदार
सदस्यता संख्या : 405227
यूडीआईएस: 20405227एएएएईजे2294

स्थान : जयपुर
दिनांक : 26.10.2020

स्वतंत्र अंकेक्षण रिपोर्ट का परिशिष्ट – '5'

कम्पनीज अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उप–धारा 3 के खंड (1) के अन्तर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने दि राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड (दि कम्पनी) के 31.03.2020 तक के वित्तीय प्रपत्रों का अंकेक्षण किया एवं इसी तिथि को समाप्त हुए वर्ष की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अंकेक्षण भी किया।

आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में प्रबन्धन के दायित्व

कम्पनी का प्रबन्धन कम्पनी द्वारा प्रतिपादित वित्तीय प्रतिवेदन मानदण्डों पर आन्तरिक नियंत्रणों के आधार पर कम्पनी के आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने एवं बनाये रखने के लिए उत्तरदायी है। जैसा विवरण दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ('आईसीएआई') द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के दिशा–निर्देश नोट में अंकित किया गया है। इन दायित्वों के व्यवसाय को व्यवस्थित एवं कुशल ढंग से चलाने को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रूपरेखा, कार्यान्वयन और रख–रखाव एवं कम्पनी की नीतियों की पालना सम्मिलित है। कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत कम्पनी की सम्पित्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं की रोकथाम एवं पता लगाने के लिए पर्याप्त लेखा अभिलेखों की सम्पूर्णता एवं सत्यंता सुनिश्चित करना एवं समय पर विश्वसनीय वित्तीय सूचना तैयार करना आवश्यक है।

अंकेक्षकों का दायित्व

हमारा दायित्व हमारे अंकेक्षण के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर राय अभिव्यक्तव करना है। हमने आईसीएआई द्वारा जारी 'वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण' का दिशा–निर्देश नोट (द दिशा–निर्देश नोट) एवं अंकेक्षण के मानक जिन्हें कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के अन्तर्गत निर्धारित माना जाता है, जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अंकेक्षण पर लागू सीमा तक प्रभावी है एवं जिन्हें आंतरिक वित्त्िय नियंत्रण के अंकेक्षण पर भी एवं जिन्हें भारत के चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा जारी किया गया है, के अनुसार अंकेक्षण किया। इन मानक एवं दिशा–निर्देश नोट की आवश्यकता होती है कि हम नैतिकता की पालना करें तथा अंकेक्षण को इस प्रकार से नियोजित एवं आयोजित करें जिससे उचित सीमा तक यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित था और प्रयोजन में लाया जा रहा था एवं ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित थे।

हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग और उसके संचालन प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के संदर्भ में अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। हमारे वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अंकेक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को समझना किसी महत्वपूर्ण कमजोरी से उत्पन्न ऐसे जोखिम का आंकलन एवं आंतरिक नियंत्रण जो जोखिम के आंकलन उपरान्त स्थापित किये गये हो के स्वरूप और परिचालन में प्रभावशीलता मूल्याकन करना है। प्रक्रियाओं का चयन अंकेक्षक के विवेक पर है जिसमें धोखाधड़ी या त्रुटिवश वित्तीय विवरणों में भ्रामक जानकारी की जोखिम का निर्धारण शामिल है।

हम विश्वास करते हैं कि कम्पनी का वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तींय नियंत्रण पर हमारे द्वारा प्राप्त अंकेक्षण साक्ष्य हमारे अंकेक्षण अभिमत के लिए पर्याप्त एवं उचित आधार प्रदान करते हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जो सामान्यत: स्वीकार्य लेखांकन सिद्धान्तों के अनुसार बाह्रय उद्देश्यों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता तथा वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में उपयुक्त आश्वासन देती है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अन्तर्गत वे नीतियां तथा प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं जो –

(1) अभिलेखों के संधारण से सम्बन्धित है तथा ये अभिलेख कम्पनी के लेन–देन तथा परिसम्पत्तियों के वितरण का उपयुक्त विवरण, परिशुद्ध व स्पष्ट रूप से दर्शाते हो।

(2) पर्याप्त आश्वासन देती है कि सामान्यत: स्वीकार्य लेखांकन सिद्धान्तों के अनुसार, वित्तीय विवरणों को तैयार करने की आवश्यकतानुसार लेन–देन अभिलिखित किये जाते हैं तथा कम्पनी की प्राप्तियां तथा व्यय कम्पनी के प्रबन्ध वर्ग तथा निदेशकों के प्राधिकार के अनुसार किये जाते हैं, तथा

(3) कम्पनी की परिसम्पत्तियों जिनका वित्तीय विवरणों पर सार्थक प्रभाव पड़ सकता है, के अप्राधिकृत अर्जन, उपयोग अथवा वितरण को रोकने अथवा समय पर उनका पता लगाने के संबंध में यथोचित आश्वासन देती है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं :

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं तथा नियंत्रणों की कपटपूर्ण अथवा अनुपयुक्त प्रबन्धन की संभावना के कारण भूलवश अथवा धोखाधड़ी से वित्तीय विवरणों में त्रुटि हो सकती है तथा उनका पता न लगने की संभावना हो सकती है। साथ ही भावी समयावधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमानों से ऐसे जोखिम हो सकते हैं कि स्थितियों में परिवर्तन के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अनुपयुक्त हो सकते हैं अथवा नीतियों अथवा प्रक्रियाओं के अनुपालन के अंश में कमी आ सकती है।

महत्वपूर्ण मामले

हम निम्न मामलों में आपका ध्यान आकर्षित करते हैं:–

1. कम्पनी के पास आई टी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन की प्रक्रिया प्रणाली नहीं है। लेखा पुस्तकों को आई टी प्रणाली से नियमित रूप से संधारण नहीं किया जाता है। लेखा पुस्तकों का एकीकरण मैन्यूअली किया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ इकाइयों यथा राजस्थली जयपुर, कोलकाता एवं दिल्ली लेखा पुस्तकों को अभी भी मैन्यूअली किया जाता है। लेखा प्रविष्टियों का लेनदेन आई टी प्रणाली के अतिरिक्त करने से आंतरिक नियंत्रण की कमी दर्शाता है।
2. प्रविष्टियों को जोड़कर आई टी प्रणाली में एक सामुहिक प्रविष्टि के रूप में इन्द्राज किया जाता है। बहुत सी लेखा प्रविष्टियां मरकेन्टाइल/एकरूयल आधार के स्थान पर नगद आधार पर की जाती हैं।
3. कथन उचित नहीं है।
4. भुगतान को आपूर्ति बिल के साथ प्रति संदर्भ/चिन्हित नहीं किया जाता।
5. प्रथमकर्त्ता तथा जांचकर्त्ता के सिद्धान्त का पालन नहीं किया जाता।

6. अचल सम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया जाता, जिस के कारण लेखा पुस्तकों में सम्पत्तियों की क्षति का लेखांकन/प्रावधान नहीं किया गया।

हमारी राय में परिशिष्ट '1' में दी गई क्वालीफाईड ऑपिनियन के आधार पर पड़ने वाले मामलों के प्रभाव को छोड़कर, हमारी श्रेष्ठ सूचना एवं हमें दिये गये स्पष्टीकरण के आधार पर, कम्पनी द्वारा उचित एवं निष्पक्ष वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण स्थापित है। 31.03.2020 को स्थापित आंतरिक नियंत्रण को सुधार एवं प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता है।

कृते बाफना एण्ड ऐसोसिएट्स

चार्टर्ड एकाउन्टेंटस्

फर्म पंजीकरण संख्या : 001408सी

सिद्धार्थ बाफना

साझेदार

सदस्यता संख्या : 405227

यूडीआईएस: 20405227एएएएईजे2294

स्थान : जयपुर

दिनांक : 26.10.2020

दि राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लि.
(राजस्थान सरकार का उपक्रम)
पंजीकृत कार्यालय : उद्योग भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर–302005
फोन : 0141–2227079 फैक्स : 0141–2227257
वेब साइट : www.industries.rajasthan.gov.in/rajsico, E-mail : rajsico@rajasthan.gov.in
CIN : U91110RJ1961SGC001118

वार्षिक लेखे 2019–20

वार्षिक लेख

दी राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लि.

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

जयपुर

तुलन – पत्र

31 मार्च, 2020 का

विवरण	नोट सं.	31.03.2020 को		31.03.2019 को	
			रु.		रु.
<u>अंश पूंजी एवं दायित्व</u>					
अंशधारकों का कोष					
अंश पूंजी	1	69,640,300		69,640,300	
संचय एवं अतिरेक	2	(181,076,519)	(111,436,219)	(139,634,825)	(69,994,525)
शेयर आवेदन पूंजी विचाराधी आवंटन					
अचल दायित्व	3				
दीर्घावधि ऋण	3.1	79,832,405		77,568,744	
अन्य दीर्घावधि ऋण	3.2	42,230,073		40,450,172	
दीर्घावधि प्रावधान	3.3	23,203,409	145,265,887	26,771,635	144,790,551
चल दायित्व	4				
लघु दायित्व	4.1	–			
व्यापारिक देयताएं	4.2	127,670,361		127,430,500	
अन्य चल देयताएं	4.3	55,992,024		52,867,586	
लघु अवधि प्रावधान	4.4	162,380,101	346,042,486	173,748,631	354,046,717
कुल			379,872,154		428,842,743
सम्पत्तियाँ अचल सम्पत्तियाँ सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	5				
मूर्त सम्पत्तियाँ		142,399,178		189,533,505	
पूंजीगत कार्य की प्रगति		–	142,399,178	–	189,533,505

अचल विनियोजन	6	286,140	286,140	286,140	286,140
दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम	7	6,186,722	6,186,722	6,389,222	6,389,222
अन्य अचल सम्पत्तियाँ	8				
चल सम्पत्ति	9				
रहतियाँ	9.1	3,538,107		4,607,614	
व्यापारिक प्राप्ताएँ	9.2	7,920,578		7,656,289	
नगद एवं बैंक शेष	9.3	155,474,346		151,514,184	
लघु अवधि ऋण एवं अग्रिम	9.4	60,281,469		61,374,044	
अन्य चल सम्पत्तियाँ	9.5	3,785,614	231,000,114	7,481,745	232,633,876
कुल			379,872,154		428,842,743
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां एवं वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ	1–22		(0)		(0)

अंकेक्षण रिर्पोट

हमारे इसी दिनांक के प्रतिवेदन के क्रम में

वास्ते बाफना एण्ड ऐसोसिएट्स

चार्टर्ड एकाण्टेन्टस

एफआरएन : 001408सी

डा. आकाश आल्हा
मुख्य लेखाधिकारी

पी.के. जैन
कम्पनी सचिव

डॉ. समित शर्मा
प्रबन्ध निदेशक
डीआईएन 03494438

अर्चना सिंह
निदेशक
डीआईएन 06785834

सिद्धार्थ बाफना
भागीदार
एम.नं. 405227

स्थान: जयपुर
दिनांक: 26.10.2020

दी राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लि.

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

जयपुर

लाभ एवं हानि प्रपत्र

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

विवरण	नोट सं.	31.03.2020 को		31.03.2019 को	
			रु.		रु.
आय					
परिचालन से आय	10		205,105,425		973,836,472
घटाये: उत्पाद शुल्क					
सकल परिचालन से आय			205,105,425		973,836,472
अन्य आय	11		30,598,398		33,293,274
कुल राजस्व	(ए)		235,703,823		1,007,129,746
व्यय:					
उपभोग माल की लागत	12				
क्रय माल का स्कंन्द	13		46,818,786		772,486,465
स्टॉक चालू स्टॉक व तैयार माल की पंतियाँ में परिवर्तन	14		1,079,166		47,596,997
कर्मचारी अनुलाभ व्यय	15		43,474,711		79,054,847
वित्तीय लागत	16		3,273,929		3,460,822
मूल्यह्रास एवं अपलेखन	5		5,265,848		4,991,023
अन्य व्यय	17		130,926,011		113,501,232
कुल व्यय	(बी)		230,838,451		1,021,091,386
लाभ/(हानि) पूर्व अवधि की मदों, अपवादस्वरूप मदों, असाधारण मदों एवं कर से पूर्व	(ए–बी)		4,865,372		(13,961,641)
घटाईये: अपवाद स्वरूप मदें	20		215,768		1,198,567
पूर्वांवधि मदें	19		(1,591,259)		2,195,388
अतिरिक्ति प्रावधान/अल्प शेष राशि वापिस	18		188,562		869,844
लाभ/(हानि) असाधारण मदों एवं कर से पूर्व			3,678,443		(9,697,841)

जोडिये: असाधारण मदों					
लाभ/(हानि) कर से पूर्व			3,678,443		(9,697,841)
कर व्यय					
(ए) इस वर्ष का चालू कर व्यय					
(बी) पूर्व वर्षों का कर व्यय			122,516		
(सी) स्थगित कर का प्रावधान			–		
वर्ष के लिए का लाभ/(हानि)			3,555,927		(9,697,841)
प्रधान एवं परिवृद्धि प्रत्येक					
इक्विटी शेयर आय	21		5.11		(13.93)
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ	1–22				

अंकेक्षण रिपोंट

हमारे इसी दिनांक के प्रतिवेदन के क्रम में

वास्ते बाफना एण्ड ऐसोसिएट्स

चार्टर्ड एकाण्टेन्टस

एफआरएन : 001408सी

डा. आकाश आल्हा
मुख्य लेखाधिकारी

पी.के. जैन
कम्पनी सचिव

डॉ. समित शर्मा
प्रबन्ध निदेशक
डीआईएन 03494438

अर्चना सिंह
निदेशक
डीआईएन 06785834

सिद्धार्थ बाफना
भागीदार
एम.नं. 405227

स्थान: जयपुर
दिनांक: 26.10.2020

दि राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां एवं टिप्पणियां जो वित्तीय विवरणों का भाग

(31.03.2020 तक के तुलन–पत्र एवं इस तिथि तक के लाभ एवं हानि खातों का विवरण का भाग)

वित्तीय विवरणों को तैयार करने का आधार

(ए) लेखा नीतियाँ

वित्तीय प्रपत्र ऐतिहासिक लागत की अवधारणा पर उपार्जन पद्धति पर एवं सामान्यत: स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुसार एवं कम्पनी अधिनियम, 2013 के सम्बन्धित प्रावधानों एवं लेखा मानकों जैसे लागू हैं एवं जिन्हें कम्पनी द्वारा निरन्तर अपनाया जा रहा है। महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का उल्लेख निम्नानुसार है:

1. अनुमान का उपयोग:

वित्तीय प्रपत्रों को तैयार करने में अनुमान एवं अन्दाज लगाने होते हैं जो वित्तीय प्रपत्रों की तिथि को सम्पत्तियों एवं दायित्वों की उद्धरित राशि एवं प्रतिवेदित अवधि में आय अत: व्यंय को प्रभावित करते हैं। अनुमानों एवं वास्तविक परिणामों के मध्यय किसी अन्तर को उस अवधि में अभिलिखित किया जाता है जिसमें ज्ञात हो/उत्पन्न हो।

2. तुलन–पत्र तिथि के बाद की घटना:

तुलन–पत्र की तारीख के बाद होने वाली घटना, जिसका कम्पनी के वित्तीय मामलों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, को कम्पनी के वित्तीय विवरण प्रस्तुति करते समय संज्ञान में लिया जाता है।

3. पूर्वावधि और असाधारण एवं विशिष्ट मद:

पूर्वावधि एवं असाधारण, विशिष्ट मद तथा लेखांकन नीतियों में परिवर्तन (अगर कोई हो) जिसका कम्पनी के वित्तीय मामलों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, को जहां भी आवश्यक हो उल्लेलख किया जाता है।

4. राजस्व मान्यता :

राजस्व इस सीमा तक मान्य है कि कम्पनी को मिलने वाले संभावित आर्थिक लाभ के राजस्व को विश्वसनीयता से आंका जा सकता है।

(i) माल की बिक्री से होने वाले राजस्व को तब आंका जाता है जब कम्पनी द्वारा उत्पादों के स्वामित्वत को महत्वपूर्ण जोखिम एवं प्रतिफल को स्थान्तोरित कर दिया जाता है।

(ii) क्रय तथा बिक्री को, बिक्री कर, दर अन्तर एवं उत्पाद शुल्क, का शुद्ध प्रतिफल कहा जाता है। क्रय में उसका भाड़ा एवं दलाली की कीमत गैर–समायोज्य शुल्क सम्मिलित है जिसे इस प्रकार के क्रय के लिए दिया गया हो।

(iii) ब्याज से आय को बकाया राशि और लागू ब्याज दर को ध्यान में रखते हुए, समय अनुपात के आधार पर पहचाना जाता है। लाभ एवं हानि के प्रपत्रों में ब्याज से आय को ''अन्य आय'' के मद में सम्मिलित किया जाता है।

(iv) सेवा लेन–देन से अर्जित राजस्व, अगर कोई हो, को लाभ एवं हानि लेखों में पृथक से दर्शाया जाता है। पिछले वर्ष के अन्त तक कोई सेवा लेन–देन चलन में नहीं है।

5. उधार की लागत :

उधार की लागत में अर्हक सम्पत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन से संबंधित राशि को उस सम्पत्ति की लागत में पूंजीकृत किया जाता है। एक अर्हकारी सम्पत्ति एक परिसम्पत्ति है जिसे आवश्यक रूप से इसके उपयोग या बिक्री के लिए तैयार होने के लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता होती है। अन्य सभी उधार की लागत को उस अवधि का व्यय माना जाता है जिसमें व्यय की गई है। वर्ष के दौरान ऐसा कोई व्यय नहीं किया गया।

6. अनुदान सहायता :

अनुलंग्नक 'ए' में वर्णित व्यय एवं प्राप्ति जैसे अनुदान सहायता के सम्बन्ध में दर्शाई गई है उस प्रकार लाभ एवं हानि लेखों के अन्तर्गत प्रपत्रों में नहीं दिखाई गई।

7. निवेश :

(i) दीर्घावधि निवेशों को लागत पर दर्शाया जाता है। हालांकि किसी स्थाई गिरावट को दीर्घावधि निवेश को अग्रेषित की जाने वाली राशि में ऐसी राशि से कम किया जाता है।

(ii) वर्तमान निवेश को लागत या वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो पर उद्धरित किया जाता है।

8. मूल्यह्रास:

(i) भूमि :– लीज अवधि के आधार पर लीज होल्ड भूमि के संबंध में खातों में परिशोधन प्रदान किया जाता है।

(ii) अन्य स्थाई सम्पत्तियां :– स्थाई सम्पत्तियों पर मूल्यह्रास धटक मूल्य पद्धति पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–।। में दी गई दरों तथा पद्धति के अनुसार मूल्यह्रासिक राशि तक लगाया जाता है। प्रिन्टर को प्रिन्टर के उपकरण के सामान माना जाता है एवं इन पर मूल्यह्रास सम्पत्ति के अनुसार चार्ज किया गया। उपयोग अवधि को कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची–।। के भाग (सी) में दिये अनुसार लिया गया है। सभी अव्यावहारिक सम्पत्ति का अवशिष्ट मूल्य 5 प्रतिशत माना जाता है।

सम्पत्ति संयंत्र और उपकरण (एएस–10) : अचल सम्पत्ति लागत पर, संचित मूल्यह्रास का कुल संचित क्षीणता से हानि, अगर कोई हो, बताई गई है। लागत में उसके क्रय मूल्य के साथ, यदि पूंजीकरण मानदंड पूरा हो जाता है तो उधार लेने की लागत एवं उसके वांछित प्रयोजन तक उपयोगी बनाने हेतु व्यय की गई लागतें भी सम्मिलित हैं। खरीद मूल्य तक पहुंचने के लिए कोई व्यापार छूट एवं रिबेट को कम कर दिया जाता है।

9. सेवानिवृत्ति लाभ:

ग्रेच्यूटी : निगम द्वारा अपने कर्मचारियों को देय ग्रेच्यूटी के भुगतान के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम से पॉलिसी ले रखी है एवं भारतीय जीवन बीमा निगम को देय वार्षिक योगदान एक्यूरियल

मूल्याकन के आधार पर लाभ एवं हानि खातों में खर्च के मद में लिखा जाता है।

10. अवकाश नगदीकरण : कर्मचारियों/अधिकारियों को सेवानिवृत्ति पर होने वाले अवकाश नगदीकरण के लाभ का आंकलन निगम द्वारा की गई गणना के आधार पर दायित्व का प्रावधान क्रमिक आधार पर किया गया है। आर.एस.आई.सी. सेवा नियम 1972 के अनुसार सेवानिवृत्ति पर अनुपयोगी चिकित्सा अवकाश का नगदीकरण नहीं किया जाता।

11. राजकीय अनुदान:-

(1) पूंजीगत व्यय के लिए : पूंजीगत व्यय के लिए प्राप्त राजकीय अनुदान को सम्बन्धित सम्पत्ति का पूंजीकरण कर पूंजी आरक्षित में स्थानान्तरित किया जाता है एवं सम्बन्धित सम्पत्ति के आर्थिक सहायता वाले भाग के आनुपातिक ह्रास को पूंजी आरक्षित लेखों में प्रावधान किया जाता है एवं उपयोग में नहीं लिये गये अनुदान को चालू देयताओं में दर्शाया जाता है।

(2) अन्य के लिए : राजस्व व्यय के लिए प्राप्त राजकीय अनुदान को सम्बन्धित मद/योजना के व्यय के विरूद्ध दर्शाया जाता है। उपयोग में लेने से पूर्व इसे देनदारी दर्शाया जाता है।

12. अन्य आय, भण्डारन जो वसूल नहीं किया गया, हैण्डलिंग शुल्क, वारफेज शुल्क, विवादित किराया, अवकाश नगदीकरण, कर्मचारियों को देय प्रोत्साहन राशि जो प्रोत्साहन योजना (हस्तशिल्प) के अतिरिक्त को वास्तविक प्राप्तियों/भुगतान के आधार पर लेखांकन किया जाता है।

13. कर्मचारियों को दिये गये अग्रिम पर ब्याज की गणना, उन कर्मचारियों के पक्ष में जो निगम छोड़ चुके हैं, प्राप्त होने पर लेखांकन किया जायेगा।

14. बिक्री में माल के स्थानानतरण पर व्यय शामिल है।

15. व्यापारगत माल का मूल्यांकन

(ए) लोहा एवं इस्पात इत्यादि व्यापारगत माल को एफ.आई.एफ.ओ. पद्धति से क्रय की कीमत के अनुसार मूल्यांकन किया जाता है।

(बी) केन्द्रीय भण्डार एवं डीडीआरसी के व्यापारगत माल को एफ आई एफ ओ पद्धति अनुसार लागत पर या मानक लागत या वसूली योग्य मूल्य के आधार पर, जो भी कम हो, पर मूल्यांकन किया जाता है। एम्पोरियम पर माल का मूल्यांकन केन्द्रीय भण्डार एवं डी डी आर सी इत्यादि के निर्गम मूल्य पर अथवा एफ आई एफ ओ पद्धति अनुसार वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है। पूर्व के वर्षों की भांति अनुमानित आधार पर दुकान पर कलुषित एवं क्षतिग्रस्त हस्तशिल्प वस्तुओं के मूल्य को 45 प्रतिशत (राजस्थली, केन्द्रीय भण्डार इत्यादि) एवं 30 प्रतिशत (एस एस डी विंग) पर आंकलन किया गया है।

(सी) भण्डार की वस्तुएं, अतिरिक्त पुर्जे एवं कच्चा माल को प्राय: एफ आई एफ ओ पद्धति पर लागत की कीमत पर मूल्यांकन किया जाता है।

(डी) कार्य प्रगति पर को लागत के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है।

16. कराधान –

(i) वर्तमान कर में आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अन्तर्गत आय पर लगने वाले, अगर कोई हो तो,आयकर का प्रावधान किया गया है।

(ii) आस्थगित कर का प्रावधान समय के आधार पर विवेकपूर्ण विचार कर, जो कर योग्य आय एवं लेखा पद्धति से आय, जो एक समय में आरम्भ होती है एवं एक अथवा अधिक आगामी समय में समर्थ है अथवा परिवर्तनीय है।

(iii) आस्थगित कर संपत्तियों एवं दायित्वों की गणना कर की दरें एवं कर कानून जो तुलन–पत्र की तिथि तक पारित किये जा चुके हो के आधार पर की जाती है। परन्तु वर्ष के दौरान कोई डी टी ए / डी टी एल का प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि भविष्य में लाभ होने की अनिश्चयता होने के कारण जिससे पूर्व के वर्षों की संचित हानि का समायोजन हो सके।

17. कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसूची–।।। में वर्णित सभी सम्पत्तियों एवं दायित्वों को चालू अथवा अप्रचलित प्रस्तुत किया गया है। उत्पादों की प्रकृति एवं वसूली के आधार पर कम्पनी द्वारा परिचालन वृत्त को 12 माह से कम सुनिश्चित किया जाता है। तदानुसार चालू/गैर चालू सम्पत्तियों/उत्तरदायित्वों का वर्गीकरण 12 माह की अवधि का रखा गया है।

18. नगदी प्रवाह विवरण : (एएस–3) अप्रत्यक्ष विधि का प्रयोग कर नगदी प्रवाह की सूचना दी जाती है, जिससे कर से पहले लाभ/हानि गैर–नगद प्रकृति के लेन–देन एवं कोई आस्थगित अदायगी या अभिवृद्धि, पूर्व या भविष्य की नगद प्राप्तियां या भुगतान के प्रभावों का समायोजन किया जाता है। उपलब्ध जानकारी के आधार पर कम्पनी के परिचालन, निवेश एवं वित्त पोषण गतिविधियों से नगदी प्रवाह अलग हो जाता है। नगदी प्रवाह विवरण के प्रयोजनों के लिए नगद और नगद समतुल्य में नगद बैंक में एवं हाथ में, अत: अल्पकालिक निवेश में तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वत्ता के साथ सम्मिलित होते हैं।

(बी) आकस्मिक देयताओं का प्रकटीकरण

आकस्मिक देयताओं का वर्ष के अन्त में तुलन–पत्र पर नोट के द्वारा प्रकटीकरण किया जाता है। वर्ष के अन्त में तुलन–पत्र में वर्णित स्थिति के अनुसार उन देयताएं का प्रावधान किया जाता है जिनका वर्ष की समाप्ति के पश्चात् कार्यान्वित होने की संभावना है।

(i) कम्पनी के विरूद्ध मांगे जिन्हें कर्ज स्वीकार किया गया है। विभिन्न राजकीय विभागों (रीको, कस्टम,गृह कर, यू.डी. टैक्स आदि) द्वारा 355.25 लाख रूपये (गत वर्ष में 765.94 लाख रूपये) की मांग की है जो शास्ति/वसूलियां/ब्याज इत्यादि से सम्बन्धित है। यह शास्तियां/वसूलियां/ब्याज/आर्थिक किराया/इत्यदि को अभी तक कर्ज स्वीकार नहीं किया गया है क्योंकि विभिन्न स्तरों पर विधिक कार्यवाही लम्बित है।

(ii) विभिन्न अदालतों में वाद/मध्यस्था के मामले जो ग्राहकों एवं कर्मचारियों द्वारा दायर किये गये है, की राशि 129.19 लाख रूपये (गत वर्ष 129.19 लाख रू.)

(iii) मैसर्स साधुराम पटेल एण्ड संस द्वारा निगम के विरूद्ध 3596.96 लाख का दावा दायर किया गया जिसमें जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर शहर द्वारा 314.69 लाख का अवार्ड पारित किया (जिसमें 31.03.2012 तक के ब्याज की राशि रू. 108.52 लाख सम्मिलित है)।

निगम के विरूद्ध साधुराम पटेल एण्ड संस (तत्कालीन हैण्डलिंग एवं ट्रांसपोर्टर ठेकदार) द्वारा रूपये 3596.96 लाख का दावा दायर किया जिसके विरूद्ध जिला मजिस्ट्रेट जयपुर (सिटी) द्वारा निगम के विरूद्ध 314.69 लाख (मय ब्याज रू. 108.52 लाख) का क्लेम अवार्ड दिया गया। निगम ने जिला मजिस्ट्रेट जयपुर सिटी के निर्णय के विरूद्ध उच्च न्यायालय, जयपुर में अपील दायर की तथा माननीय उच्च न्यायालय ने एक्जीक्यूशन प्रोसिडिंग पर स्थगन आदेश दिया।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 3.9.2008 को अंतरिम राहत आदेश पारित किये कि अपीलार्थी को 2,02,22,423/- रूपये आरबीट्रेटर द्वारा जारी अधिनिर्णय में पारित राशि जिसे जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समर्थन किया है, को प्रतिवादी संख्या-1 के हक में जमा करानी होगी इस राशि में से 1,12,51,827/- रूपये सिंडीकेट बैंक को इस आशय के सामान्य वचन-पत्र प्रस्तुत करने पर जमा कराने होंगे, की अगर यह अपील स्वीकार की जाती है तो बैंक उक्त राशि मय 9 प्रतिशत ब्याज की दर से वापिस लौटायेंगे। शेष राशि अपील लम्बित रहने तक किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में फिक्स्ड डिपोजिट के रूप में रखी जायेगी। उक्त आदेश की अनुपालना में निगम द्वारा रूपये 2,02,22,423 जमा किये जा चुके हैं तथा इसे कोर्ट आदेश के विरूद्ध अग्रिम के रूप में दिखाया गया है। जहां तक अवार्ड में दिये गये ब्याज का प्रश्न है, वह अपील पेडिंग रहने तक स्थगित रहेगा। अत: इसके विरूद्ध कोई दायित्व नहीं दिखाया गया है।

(iv) **मैसर्स गणेश कन्टेनर मूवर्स सिंडिकेट (निगम के तत्कालीन हैण्डलिंग एवं ट्रांसपोर्टर) मुम्बई द्वारा 522,82 लाख रूपये का दावा दायर किया गया हैं (100 लाख रू. का हर्जाना एवं क्षतिपूर्ति सम्मिलित हैं)**

मैसर्स गणेश कन्टेनर मूवर्स सिडिकेट, मुम्बई द्वारा 522.82 लाख रूपये का दावा जिसमें 100.00 लाख रूपये क्षतिपूर्ति एवं मुआवजा सम्मिलित है मय ब्याज कम्पनी के विरूद्ध दायर किया है। आरबिट्रेटर द्वारा दिनांक 24.04.2019 को आदेश पारित किया है जिसमें 4,18,110/- रूपये मांगकर्त्ता को एवं 58,39,018/- रूपये आर एस आई सी को देय है। आदेश पर वादी द्वारा उच्च स्तर पर आपत्ति/चुनौती दी गई है।

(v) ऐसे ठेकों का अनुमानित मूल्य जिनका पूंजीगत लेखों में से क्रियान्वयन होना है एवं जिसका प्रावधान इस वर्ष किया जाना है : शून्य (गत वर्ष भी शून्य)

(vi) आयकर निर्धारण में अस्वीकृत/अतिरिक्त देय आंकलन के संदर्भ में कम्पनी द्वारा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपील दायार की है। विवाद से सम्बनिधत प्रकरणों में कोई विशेष दायित्व नहीं बनता है।

(vii) विक्रय कर, वेट/सीएसटी की मांग राशि 296.69 लाख रू. (गत वर्ष की राशि 255.52 लाख) की मांग के लिए कम्पनी द्वारा संबंधित प्राधिकारी के यहां सम्बन्धित दस्तावेज/सूचनाएं मांग को निरस्त करने के लिए प्रस्तुत की गई हैं।

(viii) निगम के पास दिनांक 31 मार्च, 2020 को (गत वर्ष शून्य) कोई मौजूदा बैंक/कारपोरेट गारंटी बकाया नहीं है।

(ix) मैसर्स मैक्स लॉजिस्टिक प्रा.लि. द्वारा रू. 400.46 लाख (रू. 100 लाख व्यापार में हानि का सम्मिलित) का दावा दायर किया गया है। प्रकरण आरबीट्रेटर के समक्ष विचाराधीन है।

(सी) (ए) निगम द्वारा आयातित कच्चा माल, पूर्जों व उपकरण का मूल्य सी.आई.एफ. के आधार पर किया गया है

वर्तमान वर्ष – शून्य गत वर्ष – शून्य

(बी) आयातित/स्वदेशी कच्चे माल, स्पेयर पार्ट्स और उपभोग किए गए घटकों का विवरण निम्नानुसार है:

	कच्चा माल		पूर्जे एवं स्टोर उपकरण	
वर्तमान वर्ष:	आयातित	स्वदेशी	आयातित	स्वदेशी
कुल उपयोग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
प्रतिशत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
गत वर्ष:				
कुल उपयोग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
प्रतिशत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(सी) सामान के विक्रय द्वारा विदेशी मुद्रा अर्जित की गई	वर्तमान वर्ष – 7.44 लाख रूपये		गत वर्ष – 8.43 लाख रूपये	
(डी) विदेशी मुद्रा में व्यय	वर्तमान वर्ष – शून्य		गत वर्ष – शून्य	

(डी) एफबीटी अग्रिम (लौटाने योग्य) रू. 122516/– पूर्व के वर्षों से संबंधित को ऋण एवं अग्रिम के मद में दर्शाया गया था क्योंकि यह लौटाने योग्य नहीं है। अत: इसे पूर्व वर्षों के कर व्यंय में दर्शाया गया है।

(ई) पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां आवश्यक है, फिर से व्यवस्थित/एकत्रित किया गया है।

(एफ) अंकित राशि निकटतम रूपये में की गई है।

(जी) वर्ष के दौरान मध्यम उद्यमी विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत देय तिथि से आपूर्तिकर्त्ताओं को 45 दिवस के अधिक देरी से भुगतान किये जाने पर ब्याज के भुगतान/प्रावधान वर्ष 2019–20 नहीं किया गया। जिसका विवरण परिशिष्ट 'बी' पर उपलब्ध है।

(एच) इकाईयों के संदर्भ में ऐसे प्रकरण है जिन्हें कम्पनी द्वारा 31.03.2020 तक 30 दिवस से अधिक होने पर भी 100000/– रूपये की देनदारी बकाया है। विवरण परिशिष्ट 'सी' पर उपलब्ध है।

(आई) आईसीडी भीलवाड़ा और भिवाड़ी में आयात और निर्यात का संचालन वर्ष 2012–13 (10.04.2012 से) अस्थाई रूप से बंद रहा। इसी तरह राजस्थली मुम्बई, डब्ल्यू एस पी का वर्ष 2019–20 के दौरान अस्थाई रूप से बंद रहे। आर एस आई सी द्वारा 2019–20 के दौरान राजस्थली उदयपुर चेतक सर्किल शोरूम एवं डीडीआरसी जयपुर को बंद कर दिया।

(जे) निम्नलिखित घटनायें तुलन–पत्र की तारीख के बाद घटित हुई जिन्हें अनुमोदन के लिए प्रेषित किया गया एवं इस प्रकार की घटनाऐं तुलन–पत्र की तारीख तक प्रचलित परिस्थितियों से संबंधित है। उन्हें 31 मार्च को सम्पत्ति और देनदारियों के रूप में लेखों में लिया जाता है एवं तदानुसार समायोजित किया जाता है।

1. कोविड–19 की अवधि के दौरान प्रबन्धन ने वास्तविक बिक्री/राजस्व के आधार पर कामर्शियल और राजस्व हिस्सेदारी को चार्ज करने का निर्णय लिया है। उपरोक्त अवधि के लिए लाईसेंस शुल्क और एमजीआर माफ किया है।

2. राजस्थली माल का हिस्सा जो आर वी यू एन एल को आवंटित है, के 1.11.2019 से 20.2.2020 तक की अवधि के लिए किराये में छूट दी गई।

3. जयपुर हस्तशिल्प उत्सव 2018 के लिए 14.15 लाख रूपये जेडीए, नगर निगम, जयपुर, सीएनएफईईडी, निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और आर एस डी सी से प्राप्त होने योग्य दर्शाई गई थी, को निरस्त कर दिया गया।

अंकेक्षण रिर्पोट

हमारे इसी दिनांक के प्रतिवेदन के क्रम में

वास्ते बाफना एण्ड ऐसोसिएट्स

चार्टर्ड एकाण्टेन्टस

एफआरएन : 001408सी

डा. आकाश आल्हा	पी.के. जैन	डॉ. समित शर्मा	अर्चना सिंह	सिद्धार्थ बाफना
मुख्य लेखाधिकारी	कम्पनी सचिव	प्रबन्ध निदेशक	निदेशक	भागीदार
		डीआईएन 03494438	डीआईएन 06785834	एम.नं. 405227

स्थान: जयपुर
दिनांक: 26.10.2020

		31 मार्च 2020 को		31 मार्च 2019 को
नोट –1' अंश पूंजी		रू.		रू.
अधिकृत 8,50,000 समता अंश प्रत्येक 100 रूपये का निर्गमित		850,00,000		850,00,000
		850,00,000		850,00,000
निर्गमन एवं अभिदत्त एवं परिदत्त		31 मार्च 2020 को		31 मार्च 2019 को
समता अंश प्रत्येक 100/– रूपये 696403 समता अंश प्रत्येक 100/– रूपये अभिदत्त एवं परिदत्त		696,40,300		696,40,300
		696,40,300		696,40,300
5 प्रतिशत से ज्यादा अंशधारकों की सूची		31 मार्च 2020 को		31 मार्च 2019 को
अंशधारकों का नाम	अंश संख्या	रखे हुए अंशो का %	अंशों की संख्या	रखे हुए अंशो का %
महामहिम राज्यपाल राजस्थान	664,387	95.40	664,387	95.40

बकाया अंशों का नम्बर किया गया		31 मार्च 2020 को		31 मार्च 2019 को
विवरण		अंशों की संख्या		अंशों की संख्या
वर्ष के प्रारम्भ में समता अंश		6,96,403		6,96,403
जोड़िये : वर्ष के दौरान अंशों का निर्गमन		–		–
वर्ष के अंत में समता अंश		6,96,403		6,96,403

कम्पनी के पास एकल समता अंश प्रत्येक 100/– रू. का है। प्रत्येक अंशधारक अंश के अनुरूप वोट कर सकता है। कम्पनी की तरलता की स्थिति में समता शेष शेयरधारकों को समस्त अनुपातिक राशि बंटवारे के बाद बची हुई सम्पत्ति को प्राप्त करने का अधिकार होगा। क्षमता शेयर धारकों को उनके द्वारा धारित क्षमता शेयर्स के अनुपात में वितरण होगा।

राशि रू. में

नोट– '2' संचय एवं अतिरेक		31 मार्च 2020 को		31 मार्च 2019 को
पूंजी सम्पत्तियां (राज्य से अनुदान)				
(ए) अचल सम्पत्तियों के विक्रय से	4,367,245		4,367,245	
गत वर्ष के चिट्ठे के अनुसार				
जोड़िये (+) घटाइये (–) वर्ष के दौरान		4,367,245		4,367,245
(बी) परिक्रामी निधि				
गत वर्ष के चिट्ठे के अनुसार	27,85,4,000		27,85,4,000	
जोड़िये (+) घटाइये (–) वर्ष के दौरान		27,85,4,000		27,85,4,000
(सी) आस्थिगित अनुदान (अविग्रहित सम्पत्तियों के लिए)				
गत वर्ष के चिट्ठे के अनुसार	82,925,500		85,157,390	
जोड़िये (+) वर्ष के दौरान (टिप्पणी: 2 (ए)	28,50,000		–	
	85,775,500		85,157,390	
घटाइये : ऋण शोधन परिसम्पत्तियों पर	2,252,000		2,231,890	
घटाइये : अनुदान से बनाई गई परिसम्पत्तिया	45,595,621		–	
(टिप्पणी: 2 (बी)		37,927,879		82,925,500
लाभ हानि खाते में अतिरेक				
गत वर्ष के चिट्ठे के अनुसार	(254,781,570)		(245,083,729)	
जोड़िये (+) घटाइये (–) वर्ष के दौरान	3,555,927	(251,225,643)	(9,697,841)	(244,781,570)
		(181,076,519)		(139,634,825)

2 (ए) वर्ष के दौरान आर एस आई सी द्वारा टी आई ई एस के अन्तर्गत मिलने वाले अनुकूल अनुदान (50 : 50) में से 57.00 लाख रूपये की एक्सरे बैग़ेज एवं ई टी डी मुशीन क्रय की है। इसलिए 28.50 लाख रूपये पूंजी आरक्षित में दर्शाये गये हैं।

2 (बी) आई सी डी बीकानेर की स्थापना के लिए वर्ष 2008–09 की अवधि में, ए एस आई डी ई योजना के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान में से 5,04,78,630/–रूपये की भूमि क्रय की गई एवं उसके लिए पूंजी पुनर्वित बनाया गया था। भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के पत्र दिनांक 19.02.2015 द्वारा इस परियोजना को रद्द कर दिया गया है। प्रबन्धन ने सरकार से भूमि की लागत वसूलने का प्रयत्न किया परन्तु राज्य सरकार के राजस्व विभाग द्वारा अपने पत्र दिनांक 02.12.2019 को भूमि की लागत लौटाने से इंकार कर दिया है। अत: 01.04.2019 को पूंजी आरक्षित की राशि 4,55,95,621/– रूपये (5,04,78,630 – 48,83,009 वर्ष 2018–19 तक चार्ज किये गये) को अनुदान से सृजित की गई सम्पत्ति में कटौती के रूप में दिखाया गया है।

नोट– '3' अचल दायित्व			31 मार्च 2020 को		31 मार्च 2019 को
3.1	दीर्घावधि ऋण (अप्रत्याभूति)		रू.		रू.
	अप्रत्याभूति ऋण अन्य से अवधि ऋण				
	ए) वीआरएस स्कीम के लिए (2009–10) (नोट सं. 3 (ए)	60,678,057		58,947,840	
	बी) वीआरएस स्कीम के लिए (2003–04) (नोट सं. 3 (ए)	19,154,348	–	18,620,904	–
			79,832,405		77,568,744
3.2	अन्य दीर्घावधि देयताएं (असुरक्षित)				
	प्रतिभूति जमा		42,162,831		40,382,930
	स्टॉफ के लिए प्रतिभूति जमा		67,242		67,242
			42,230,073		40,450,172
3.3	दीर्घावधि प्रावधान				
	स्टेट रेन्यूवल फण्ड (नोट सं. 3 (बी)		8,592,000		8,592,000
	कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान				
	अवकश नगदीकरण हेतु प्रावधान		14,611,409		18,179,635
	कुल		23,203,409		26,771,635

3 (ए) 26.07.2018 को आयोजित स्टेट रेन्यूवल फण्ड (एसआरएफ) के प्रबंधन की बैठक के आधार पर, आरएसआईसी के प्रबंधन ने 566.77 लाख (रु. 433.44 लाख + रु. 133.33 लाख) रुपये ऋण को पुनवर्गीकृत किया है। अत: वर्ष 2019–20 तक एस आर एफ ऋण पर उपार्जित एवं देय ब्याज की राशि 2,31,55,405/– रूपये दीर्घकालीन उधार के रूप में एसआरएफ को देय। प्रबन्धन का मत हैकी प्रतिवेदन दिनांक से 12 माह के भीतर आरएसआईसी द्वारा यह राशि प्रतिदेय नहीं होगी।

3 (बी) 26.07.2018 और 29.03.2019 को आयोजित राज्य नवीकरण निधि (एसआरएफ) के प्रबंधन की बैठक के आधार पर आरएसआईसी के प्रबंधन का यह विचार है कि प्रतिवेदन दिनांक से 12 महीने के भीतर बकाया राशि प्रतिदेय नहीं होगी। अत: इसे दीर्घकालिक प्रावधानों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। वर्तमान वर्ष के योगदान को अल्पकालिक प्रावधानों के रूप में माना गया है।

नोट– '4' चल दायित्व		31 मार्च 2020 को		31 मार्च 2019 को	
			रू.		रू.
4.1	लघु अवधि ऋण (अप्रत्याभूत)				
4.2	व्यापारिक देयताएं (नोट सं. 4(सी)				
	लेनदारों द्वारा माल की आपूर्ति		1,653,095		2,737,095
	एमएसएमई को देय		34,250,748		36,603,492
	अन्य को देय		91,766,518		88,089,913
			127,670,361		127,430,500
4.3	अन्य चालू दायित्व				
	एसआरएफ ऋण पर ब्याज अर्जित हुआ,	485,718		482,299	
	लेकिन देय नहीं अर्जित ब्याज एवं देय	399,854		399,855	
	(नोट सं. 4 (ए)				
	अनुदान (वापसी योग्य)	12,176,246		11,953,204	
	कर्मचारियों को पीएफ देय	481,713		807,633	
	वेट/सीएसटी देय	65,994		65,995	
	टीडीएस देय	41,049		535,200	
	एलआईसी देय	13,732		40,447	
	सर्विस टैक्स देय	46,258		44,867	
	जीएसडी पर टीडीएस	384,746		486,175	
	अन्य आधारभूत देय बकाया	570,912		113,857	
	देय ग्रेच्यूटी (नोट सं. 4 (बी)	1,272,200		1,272,200	
	मांग/आदेश के विरूद्ध अग्रिम	31,525,992		28,416,841	
	अज्ञात प्राप्तियां	1,027,519		748,922	
	निलम्बय	91	48,492,024	91	45,367,586
	दीर्घकालिक ऋण की वर्तमान परिपक्वता (नोट सं; –4 (डी)				
	राजस्थान सरकार से				
	राजस्थली नई दिल्ली के लिए (नोट सं. 4 (डी)	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000
		–	55,992,024	–	52,867,586

4 (ए) रूपये 3,99,854/– पुरानी ब्याज देयता से संबंधित है और असुरक्षित ऋण पर बकाया है जिसके बारे में कोई विवरण उपलब्ध नहीं है।

4 (बी) रूपये 12,72,200/– सेवा से पृथक किये गये कर्मचारियों को दी जाने वाली गेच्यूटी से संबंधित।

4 (सी) विविध ऋणदाताओं/ बकाया देयता के शेष पुष्टीकरण एवं मिलान पर आधारित है इसमें समाहित है। कुछ पुराने/असंबंधित के समय का लम्बित/पुष्टिकरण/मिलान/निर्णय हेतु बकाया है जिनका समायोजन अगर कोई है अंतिम पुष्टिकरण/प्रमाणीकरण/निर्णय के समय किया जावेगा। कच्चा माल/आई.सी.डी. जोधपुर के लेनदार की ऋणियों के बकाया की मुख्य खातों से मिलान से नहीं किया गया है इसके अंतर को संदिग्ध लेखों में दर्शाया गया है।

4 (डी) असुरक्षित अवधि ऋण रूपये 75,00,000/– लाख बिना ब्याज (रूपये 25,00,000 दिनांक 26.03.2011 और रूपये 25,00,000 दिनांक 26.03.2012 व 25,00,000 दिनांक 26.03.2013 को भुगतान योग्य)

4.4	लघु अवधि प्रावधान	31 मार्च 2020 का		31 मार्च 2019 को	
		रू.		रू.	
	कर्मचारी कल्याण का प्रावधान				
	बोनस	25,703		25,703	
	कर्मचारियों का पारिश्रमिक	5,494,874		5,024,783	
	ग्रेच्यूटी का प्रावधान (नोट सं.– 4 (ई)	29,205,473		39,948,048	
	अवकाश नगदीकरण के लिए प्रावधान	4,850,260	39,576,310	7,201,050	5,21,99,584
	किराया (नोट सं. 4 (एफ)	5,072,403		4,906,862	
	अंकेक्षण शुल्क	78,500		73,000	
	बिजली व पानी	328,072		382,932	
	दूरभाष	47,116		44,222	
	आयकर का प्रावधान (नोट सं. 4 जी)	4,001,369		4,001,369	
	कस्टम कोस्ट वसूली (नोट सं. 4 (एच)	56,993,825		59,716,610	
	आईसीडी ऑपरेशन व्यय (नोट सं. 4 (आई)	24,752,729		24,014,444	
	यूडी कर एवं लीज किराया (नोट सं. 4 (जे)	9,126,291		7,053,385	
	यूडी कर एवं लीज किराया ब्याज	8,459,475		7,612,638	
	आर्थिक किराया	2,345,490		2,048,996	
	नवीनीकरण व्यय	6,295,698		6,783,074	
	हैण्डलिंग ट्रांसपोर्टेशन व्यय व कोल के लिए	1,023,809		1,023,809	
	सीएचओ को प्रोत्साहन	190,738		371,409	
	राज्य नवीनीकरण फण्ड (नोट सं. 4 (के)	500,000		500,000	
	विज्ञापन एवं प्रचार	292,757		163,663	
	प्रदर्शनी व्यय	260,597		260,597	
	क्रय	215,584		–	
	अन्य प्रावधान	2,819,338	122,803,791	2,592,037	121,549,047
			162,380,101		173,748,631

4 (ई) आरएसआईसी कर्मचारियों को पूर्ण ग्रेच्यूटी भुगतान के लिए एलआईसी जिम्मेरदार होगी। एलआईसी ने पिछली सेवाओं के लिए गेच्यूटी की 365.47 लाख की मांग रखी जिसमें दिनांक 31.03.2020 को निगम फण्ड मूल्य 76.56 लाख रूपये है शेष राशि के मुकाबले 288.91 लाख रू. का प्रावधान किया गया।

4 (एफ) चालू वर्ष के किराये का प्रावधान 2,09,184/– एवं गत वर्षों का शेष राशि 48,63,219/– है।

4 (जी) चालू देयताओं के मद में राशि 40.01 लाख दर्शायी गयी है क्योंाकि पिछले वर्षों के आयकर प्रावधान को मिलान के अन्तर्गत है। अंतिम निपटारे के प्रयत्न किये जा रहे हैं, यदि परिणाम के सिद्धांत पर कोई असर होगा तो अंतिम पुष्टि के समय उस वर्ष के खातों में लेखांकित कर दिया जावेगा। लम्बित मूल्यांकन/अपील संशोधन/संदर्भ के साथ–साथ दावों के लम्बित मामलों के लिए वित्तीय प्रभाव के लिए कर कर्त्तव्यों और धनवापसी के लिए अतिरिक्त देयता अंतिम निपटारे/निर्णय के समय किया जायेगा।

4 (एच) चालू वर्ष की कस्टम लागत की वसूली के लिए प्रावधान शून्य है एवं गत वर्षों का शेष रू. 5,69,93,825/–

4 (आई) चालू वर्ष के आईसीडी/एसीसी परिचालन व्यय के लिए प्रावधान 34,08,417/– एवं शेष गत वर्षों के लिए 2,13,44,312/–

4 (जे) चालू वर्ष में लीज का किराया यूडी टैक्स में शामिल रूपये 4,03,127/– आईसीडी भिवाड़ी से सम्बद्ध है एवं 16,69,779/– राजस्थली माल के लिए है। चालू वर्ष के लिए यूडी कर पर ब्याज रूपये 8,46,837/– आईसीडी भिवाड़ी से सम्बन्धित है।

4 (के) स्टेट रिन्यूवल फण्ड के प्रबन्धन की दिनांक 26.07.2018 की बैठक में निर्णय अनुसार आर एस आई सी के प्रबन्धन द्वारा चालू वर्ष में कोई अंशदान का प्रावधान नहीं किया गया है।

दि राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लि.

31 मार्च, 2020 को सम्पत्ति संयत्र एवं उपकरण

मूर्त सम्पत्तियां

नोट 5

विवरण	कुल सम्पत्तियां				मूल्यह्रास					शुद्ध कुल सम्पत्तियां	
	31.03.2019 तक	वृद्धि	विक्रय/ कटौती	31.03.2020 की स्थिति	31.03.2019 तक	वर्ष के लिए	वृद्धि	कटौती	कुल	31.03.2020 को	31.03.2019 को
भूमि (पट्टे पर)	113389812		50478630	62911182	18542849	635465		4883009	14295305	48615877	94846963
भूमि (पूर्ण स्वामित्व)	2397083			2397083	0	0			0	2397083	2397083
भवन	161408631		59719	161348912	72413263	4333389		43861	76702791	84646121	88995368
संयत्र एवं उपकरण	4689019		14803	4674216	4417346	49158		14720	4451784	222432	271673
पंखे एवं अन्य सामान	5282550	1568	20730	5263388	4807913	124368		20583	4911698	351690	474637
अन्य कार्यालय का सामान	30638607	5919103	61476	36496234	29458045	1974633		61395	31371283	5124951	1180562
फर्नीचर एवं फिक्सचर	16612339	77000	104617	16584722	15923388	189019		102257	16010150	574572	688951
वाहन	2103152			2103152	1424884	211816			1636700	466452	678268
कुल योग (ए)	336521193	5997671	50739975	291778889	146987688	7517848		5125825	149379711	142399178	189533505
कार्य प्रगति पर				0	0				0	0	0
पूर्व के वर्ष की राशि	338779932	942462	3201201	336521193	142881805	7222913		3117028	146987690	189533505	195898127

भूमि एवं भवन की राशि 1534.34 लाख रूपये (गत वर्ष 1534.34 लाख रूपये) को लेखांकन पट्टा विलेख निगम के हित में निष्पादन होने के अधीन किया गया है क्योंकि इसका उपयोग एवं कब्जा कम्पनी का है। भूमि की कीमत, भवन की कीमत में दर्शाई गई राशि 0.61 लाख रूपये में है, का आंकलन नहीं किया जा सका क्योंकि इसे भवन में दर्शाया गया है।

वर्ष 2008–09 के दौरान इनलैंड कंटेनर डिपो बीकानेर की स्थापना के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से एएसआईडीई सहायता योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुदान से रु 5,04,78,630 भूमि खरीद की गई।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 19–02–2015 के अनुसार की इस परियोजना को रद्द कर दिया गया है और भूमि दिनांक 27–4–2017 कलेक्टर बीकानेर को सौंप दी गई है। इसलिए कंपनी ने कलेक्टर, बीकानेर से भूमि की लागत वापस करने का अनुरोध किया है, लेकिन राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार ने पत्र दिनांक 2–12–19 को सूचना दी कि एक बार आवंटित और रद्द किए जाने के मामले में, भूमि की लागत को वापस करने के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है।

अतः भूमि की लागत और परिशोधन की राशि 2018–19 तक को रु 48,83,009/ – कटौती के तहत दिखाया गया है।

मूल्यह्रास एवं ऋणमुक्ति का विवरण		
विवरण	2019–20	2018–19
मूल्यह्रास एवं ऋणमुक्ति जो लाभ एवं हानि को लेखांकित किया गया	5265848	4991023
मूल्यह्रास एवं ऋणमुक्ति जो पूंजी आरक्षित को लेखांकित किया गया	2252000	2231890
कुल	7517848	7222913

	अचल सम्पत्तियां		रू.		रू.
नोट– 6 अचल विनियोजन			31 मार्च 2020 को		31 मार्च 2019 को
	अंश में विनियोजन (नॉन ट्रेड)				
(ए)	अखिल भारतीय हाथकर्धा वस्त्र सहकारी समिति लि. का एक इक्विटी शेयर (पूर्णतया परिदत्त) 1000/– रू. का		1,000		1,000
(बी)	ओबेराय हॉल्डिंग प्रा.लि. कलकत्ता के 18000 ''बी'' इक्विटी शेयर प्रत्येक 10/– रू. का		1,80,000		1,80,000
(सी)	100 इक्विटी शेयर्स (पूर्णतया परिदत्त) 1000/– रूपये का राजस्थान कन्सलटेन्सी आर्गेनाईजेशन लि. जयपुर को	1,00,000		1,00,000	
	घटाईये : मूल्यह्रास का प्रावधान		1,00,000		1,00,000
(डी)	500 इक्विटी शेयर्स प्रत्येक 1000/– का (पूर्णतया परिदत्त) राजस्थान का स्टेट हाथकर्धा विकास निगम लि. जयपुर	5,00,000		5,00,000	
	घटाईये : मूल्यह्रास का प्रावधान	(5,00,000)		(5,00,000)	
(ई)	514 इक्विटी शेयर प्रत्येक 10/– रू. का इंडिया एक्सपोसिजन मार्ट लिमिटेड़, नोयडा (यू.पी.)		5,140		5,140
			2,86,140		2,86,140

6 (ए) राजस्थान हैण्डलूम विकास निगम लि. जयपुर द्वारा रूपये 5.00 लाख का किया निवेश मूल्य में स्थायी कमी के कारण ए एस–13 के अनुसार 100 प्रतिशत कम कर दिया गया है।

6 (बी) गैर उद्धत निवेश की कुल राशि 786140/– एवं गत वर्ष 786140/– निवेश में मूल्य की कमी रू. 500000/– एवं गत वर्ष रू. 500000/–.

नोट सं. – 7 दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम (अप्रत्याशित एवं विचार योग्य माल)		31 मार्च 2020 को		31 मार्च 2019 को
		रू.		रू.
(ए) पूंजी अग्रिम	4,148,150	4,148,150	4,148,150	4,148,150
(अप्रत्याशित एवं विचार योग्य माल)				
पूंजीगत माल के लिए अग्रिम				
अप्रत्याशित एवं विचार योग्य माल				
(बी) प्रतिभूति राशि जमा				
(अप्रत्याशित एवं विचार योग्य माल)				
टेलीफोन का जमा	197,206		197,206	
विद्युत का जमा	1,565,766		1,551,078	
अन्य जमा	275,600	2,038,572	492,788	2,241,072
		6,186,722		6,389,222

7 (ए) मैसर्स आर एस आर डी सी सी लिमिटेड और ए वी एल को दी गई अग्रिम राशि 41,48,150/– रू. पूंजीगत अग्रिम में सम्मिलित है यह राशि विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए दी गई थी, जिसका निगम के खातों से मिलान किया जाना शेष है, उसी के अंतिम निपटारे से अचल सम्पत्तियों एवं अन्य संबंधित खातों पर प्रभाव आयेगा एवं अंतिम निपटाने पश्चात् अचल सम्पत्तियों एवं अन्य संबंधित खातों को डेबिट/क्रेडिट किया जायेगा।

नोट सं.–8 अन्य गैर – वर्तमान परिसंपत्ति	31 मार्च 2020 को		31 मार्च 2019 को	
	रू.		रू.	
अन्य		–		–

नोट सं. – 9 चालू सम्पत्तियां		31 मार्च 2020 का		31 मार्च 2019 को
		रू.		रू.
9.1 वस्तु सूची (जैसाकि प्रबन्धन द्वारा मूल्यांकित एवं प्रमाणित किया)				
कच्चा माल	78,152		78,152	
कार्य प्रगति पर	66,622		66,622	
तैयार माल	3,283,546		4,362,713	
भंडार और उपभोग्य	109,787	3,538,107	100,127	4,607,614
		3,538,107		4,607,614

9 (ए) रूपये 0.22 लाख का माल व्यापार संकन्ध में सम्मिलित है। (गत वर्ष रूपये 0.22 लाख) जो अन्य के पास पड़ा है, जिसकी कोई पुष्टि नहीं की गई है। यह पुष्टि के अधीन है।

9 (बी) अन्य के पास पड़ा माल मूल्य 0.20 लाख (गत वर्ष 0.20 लाख) वर्ष 2001–02 के दौरान एवं उसके पश्चात् हस्तशिल्पियों को निर्गमित कपड़ा छपाई हेतु दिया गया जो समायोजन के लिए लम्बित है।

9 (सी) हाथीदांत के विक्रय को सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया है। एएस–2 के अन्तर्गत हाथीदांत का तैयार सामान राशि 54943/– को स्टॉक में सम्मिलित नहीं किया गया है।

9 (डी) स्टॉक में पाई गई कमी जो जांच के अधीन है। राशि रूपये 2,24,301/– (गत वर्ष 2,24,301/–) को तैयार माल में शामिल नहीं किया गया है।

(राशि रूपयों में)

9.2	व्यापार प्राप्तियां (असुरक्षित)	31 मार्च 2020 को		31 मार्च 2019 को	
	(असुरक्षित, जिसे अच्छा समझा गया जब तक अन्यथा वर्णित नहीं किया जायें)				
	अच्छा समझा जाने वाला				
	6 महिने से अधिक की अवधि से बकाया		7,920,578		7,656289
	अन्य:–				
	संदिग्ध समझा गया बकाया	23,136,585	–	231,36,585	–
	घटाईये : प्रावधान	23,136,585	–	231,36,585	–
	अन्य (हायर पर्चेज ऋणी)	70,673		70,673	
	घटाईये : प्रावधान	70,673		70,673	
			7,920,578		7,656,289

9 (ई) व्यापार प्राप्तियां पुष्टि और मिलान के अधीन है। इनमें कुछ पुराने/असंदर्भित शेष शामिल हैं जिनकी पुष्टि, मिलान/ निपटारा लम्बित है। समायोजन अगर कोई हुआ तो उसे अंतिम मिलान/ पुष्टि/निपटाने के समय किया जावेगा। कच्चा माल एवं आई.सी.डी. जोधपुर के लेनदारों का शेष का मिलान खातों के साथ होना शेष है।

9 (एफ) किरायेदार के पास लगी किराया खरीद योजना के तहत आपूर्ति की गई मशीनरी के मूल्य को स्टॉक में दर्शाया नहीं गया है हालांकि 70,673/– रूपये का प्रावधान संदिग्ध व्यय में किया गया है।

9 (जी) निदेशकों और उनके संबंधित पक्षों से कोई ऋण देय नहीं है।

(राशि रूपयों में)

9.3		2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
	नगद और नगद के समकक्ष				
	हस्तगत रोकड़ (प्रबन्धन द्वारा प्रमाणित)	120,588		281,071	
	बैंक शेष	39,214,283		36,434,089	
	(बैंक सामजस्य के अधीन)		39,334,871		36,715,160
	राजकीय पीडी खाता				
	ए) ब्याज विधि	4,307,397		1,225,986	
	बी) ब्याज विधि योग्य नहीं	188,000	4,495,397	188,000	1,413,986
	90 दिनों तक की एफडीआर	40,113,089		49,329,932	
	90 दिनों से अधिक की एफडीआर	69,761,898		37,930,953	
	12 महिने से अधिक की एफडीआर	398,256		24,853,263	
	एफडीआर पर जमा ब्याज	1,370,837	111,644,078	1,270,890	113,385,038
	बैंक में जमा राशि जिसमें प्रतिभूति राशि विक्रेताओं द्वारा जमा की गई एवं लम्बित अपील के विरूद्ध जमा करवाई गई अग्रिम राशि सम्मिलित है।		155,474,346		151,514,184

9.4		31 मार्च 2020 को		31 मार्च 2019 को	
					(राशि रूपयों में)
	अल्पकालिक ऋण एवं अग्रिम (असुरक्षित, अच्छा माने जाने वाले जब तक अन्यथा वर्णित न हो)		46,824,845		44,931,218
	(i) अच्छा माना जाने वाला (नोट सं. 9(एच)	46,824,845		44,931,218	
	(ii) संदेहास्पद	17,654,885		17,674,503	
	घटाईये: प्रावधान	17,654,885		17,674,503	
	पूर्वदत्त व्यय	–	218,654		544,427
	अर्जित आय (नोट नं. 9 (आई)	–	1,000		–
	शुल्क और शास्ति विरोध के अन्तर्गत शास्ति की राशि और पीएफसी का ब्याज (नोट सं. 9 (जे)	327,787		327,787	
	सेवाकर और जीएसटी और सेस इनपुट क्रेडिट/(विवरणी मूल्यांकन आदेश के साथ मिलान के अधीन)	1,037,699	1,365,486	893,665	1,221,452
	लंबित अपीलों के विरूद्ध जमा				
	बिक्रीकर और वैट	1,287,228	1,287,228	1,287,228	1,287,228
	एफबीटी लौटाने योग्य	–		122,516	
	जीएसटी के दावे पर टीडीएस	59,300		59,100	
	आयकर लौटाने योग्य) (नोट सं. 9 (के)	10,524,956	10,584,256	13,208,103	13,389,719
			60,281,469		61,374,044

9 (एच) अन्य को अग्रिम राशि में साधुराम पटेल एण्ड संस विवाद में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अनुपालना में जिला न्यायाधीश, जयपुर के पास जमा की गई राशि रू. 2,02,22,423/– सम्मिलित है। वाद न्यायालय के अंतिम निर्णय के लिए लम्बित है।

9 (आई) अर्जित आय में कार के किराये से आय सम्मिलित है।

9 (जे) शुल्क एवं शास्ति/ब्याज वर्ष 2010–11 के लिए सेवाकर से संबंधित है। जो विरोध के अन्तर्गत जमा किया गया। भविष्य निधि संगठन द्वारा लगाए गए शास्ति राशि और ब्याज पिछले वर्षों से संबंधित है। जिसे विरोध के अन्तर्गत जमा कराया गया। वाद अंतिम निर्णय के लिए लम्बित है।

9 (के) आयकर द्वारा लौटाये जानी वाली राशि रूपये 1,05,24,956/– एवं एफबीटी द्वारा लौटाये जाने वाली राशि 1,22,516/– पिछले वर्षों से संबंधित है जिसका मिलान शेष है।

(राशि रूपयों में)

9.5		31 मार्च 2020 को रू.		31 मार्च 2019 को रू.	
	अन्य चालू सम्पत्तियां	–	–	–	–
	विचारणीय माल के दावे	–	–	–	–
	डीसीएचसी के दावे	224,077		224,077	
	अन्य दावे (नोट सं. 9 (के)	3,561,537	3,785,614	7,257,668	7,481,745
	संदिग्ध दावे	1,500,681		1,500,681	
	निलम्बनय	57,775		57,775	
		1,558,456	–	1,558,456	–
	घटाईये : प्रावधान	1,558,456		1,558,456	
			3,785,614		7,481,745

9 (एल) वर्ष 2016–17 के दौरान आयोजित राज्य पुरस्कार समारोह के लिए आरएसआईसी द्वारा राजस्थान सरकार से (वर्ष 2014–15 के दौरान प्राप्त अनुदान रू. 5.96 लाख) अनुदान को व्यय करने के लिए अनुमति चाही है। जिसके लिए अनुमति (स्वीकृति पत्र) भी अपेक्षित है। राज्य पुरस्कार समारोह में वर्ष 2016–17 के दौरान व्यय किये गये रू. 5,95,709/– लाख को ''अन्य क्लेम'' के अन्तर्गत दर्शाया गया है। जीएसटी का कुल इनपुट क्रेडिट रू. 29,61,222/– (4771989 – 1831806 + 21039 आईजीएसटी) को भी क्लेम में दर्शाया गया है। जीएसटी पर टीडीएस रू. 4606/– वापिस लौटाने योग्य है।

लाभ एवं हानि खाते पर टिप्पणी

	विवरण	वर्ष 2020 के अन्त में रू.		वर्ष 2019 के अन्त में रू.	
	नोट सं. 10 परिचालन से राजस्व				
	उत्पाद की बिक्री	54,265,838		831,608,693	
	घटाईये : एसएसआई छूट	–		–	
			54,265,838		831,608,693
	सेवाओं की बिक्री :–				
	कमीशन एवं लाईसेंस शुल्क	19,919,670		18,976,095	
	आईसीडी एवं एसीसी हैंडलिंग शुल्क (नोट सं. 10(ए)	130,919,917	150,839,587	123,251,684	142,227,779
			205,105,425		973,836,472

10 (ए) कोविड–19 (23.03.2020 से 31.03.2020 तक) की अवधि के दौरान कम्पनी ने वास्तविक बिक्री/राजस्व आधार पर कमीशन और राजस्व हिस्सेदारी प्रभारित है। उपरोक्त अवधि के लिए लाईसेंस शुल्क और एमजीआर छोड़ दिया गया है।

	विवरण	वर्ष 2019 के अन्त में रू.		वर्ष 2018 के अन्त में रू.	
	नोट सं. 11 अन्य आय				
	गैर ट्रेडिंग निवेश से लाभांश	29,565		15,514	
	किराया आमदनी (नोट सं. 11 (ए)	20,281,358		16,759,228	
	ब्याज से आय	9,884,283		15,347,051	
	अन्य आय	403,192		1,171,481	
			30,598,398		33,293,274
			30,598,398		33,293,274

11 (ए) किराये की आय में आईआईटीएफ–19 के दौरान आवंटित काउंटरों के लाईसेंस शुल्क /अंशदान से रू. 44.80 लाख सम्मिलित हैं। (पिछले वर्ष रू. 33.46 लाख आईआईटीएफ–18)

			31 मार्च 2020 को		31 मार्च 2019 को
			रू.		रू.
	नोट–12 प्रयुक्त माल की लागत	–		–	
	कच्चा माल				
	प्रारम्भिक स्टॉक	78,152		78,152	
	घटाईये : शेष भंडार	78,152	–	78,152	–

(राशि रूपयों में)

	नोट– 13 व्यापारधीन माल का क्रय	31 मार्च 2020 रू.		31 मार्च 2019 रू.	
	खरीददारी	46,818,786		772,486,465	
	घटाईये : क्रय वापसी		46,818,786		772,486,465
	क्रय (एमएसएमई उत्पाद रू. 370.24 लाख)		46,818,786		772,486,465

(राशि रूपयों में)

	नोट–14 तैयार माल प्रक्रियाधीन माल एवं व्यापारधी माल की सूची में परिवर्तन	31 मार्च 2020 रू.		31 मार्च 2019 रू.	
	प्रारम्भ स्कन्ध	66,622		66,622	
	घटाईये : संवरण स्कन्ध	66,622	–	66,622	–
	व्यापारधी माल				
	प्रारम्भ स्कन्ध	4,362,712		7,223,403	
	घटाईये : संवरण स्कन्ध	3,283,546		4,362,712	
			1,079,166		2,860,691
	मार्गस्थल माल				
	प्रारम्भ स्कन्ध			44,736,306	
	घटाईये : संवरण स्कन्ध	–	–	–	44,736,306
			1,079,166		47,596,997

(राशि रूपयों में)

	नोट–15 कर्मचारी लागत	31 मार्च 2020 रू.		31 मार्च 2019 रू.	
	वेतन एवं भत्ते (नोट सं. 15 (ए)	37,558,280		51,048,000	
	ग्रेच्यूटी	1,774,165		22,355,189	
	भविष्य निधि	3,007,113		4,310,958	
	अन्य लाभांश (नोट सं. 15 (बी)	1,135,153		1,340,700	
			43,474,711		79,054,847

15 (ए) अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक/प्रबन्ध निदेशक को वेतन एवं भत्ते सहित रू. 1896581/– का भुगतान किया गया एवं अध्यक्ष को 32387/– रूपये। (गत वर्ष प्रबन्ध निदेशक को रू. 2696732/– एवं अध्यक्ष को 170657/– आरएसआईसी कोष से एवं सहायता अनुदान से रू. 710145/– अदा किये गये।

15 (बी) अन्य लाभ जिसमें पेंशन अंशदान, एनपीएस का अंशदान एवं कर्मचारी कल्याण ईडीएलआई रेन्यूवल का प्रिमियम और ग्रेच्यूटी पॉलिसी इत्यादि सम्मिलित हैं।

(राशि रूपयों में)

	नोट–16 वित्तीय लागत	31 मार्च 2020 रू.		31 मार्च 2019 रू.	
	बैंक प्रभार	159,676		217,992	
	आईसीडी भिवाडी पर यूडी टैक्स का ब्याज	846,837		798,458	
	दीर्घावधि ऋण पर ब्याज	2,267,080		2,267,080	
	अन्य पर ब्याज	336	3,273,929	177,292	3,460,822
			3,273,929		3,460,822

(राशि रूपयों में)

	नोट–17 अन्य व्यय	31 मार्च 2020 रू.		31 मार्च 2019 रू.	
	विनिर्माण व्यय				
	विनिर्माण व्यय	–		–	
	विक्रय एवं वितरण व्यय				
	विज्ञापन व्यय	455,469		199,468	
	पैकिंग और अग्रेषण	342,212		332,750	
	सीएचए एवं निर्यातक को प्रोत्साहन	1,623,029		3,845,391	
	छूट	372,847		–	
	अन्य व्यय	21,340		107,084	
	अन्य व्यय				
	सीमा शुल्क विभाग को सीमा शुल्क की वसूली के लिए भुगतान किये गये रू. 108.94 लाख आईसीडी परिचालन व्यय में सम्मिलित	107,205,267		871,40,923	
	दरें एवं कर	2,483,587		2,269,766	
	विद्युत एवं जल	4,216,595		4,966,827	
	आरओसी फाईलिंग शुल्क	22,700		12,400	
	सदस्यता शुल्क	3,540		50,000	
	कार्यालय व्यय	2,216,676		1,990,222	
	राज्य नवीनीकरण कोष अंशदान	–		500,000	
	यात्रा एवं वाहन व्यय (नोट सं. 17(ए)	479,879		316,678	
	बीमा	274,765		488,015	
	प्रिंटिंग, स्टेशनरी एवं पोस्टेज	193,467		303,356	
	किराया	1,319,456		1,437,039	
	मरम्मत एवं रखरखाव	1,551,443		2,677,817	
	टेलीफोन एवं ट्रंककॉल	476,596		468,495	
	चौकीदारी व्यय	2,937,518		2,821,643	
	विधि एवं सलाहकार शुल्क	2,353,240		1,790,707	
	वाहन व्यय	1,693,844		920,160	
	आर्थिक किराया एवं सेवा शुल्क	591,860		557,458	
	अपलिखित (डुबत ऋण, विविध व्यय)	1,381		217,033	
	जुर्माना	300		10,000	
	अंकेक्षकों को भुगतान				
	अंकेक्षक को	89,000		78,000	
	कर संबंधी मदों पर	–		–	
	अन्य सेवा	–	130,926,011	–	113,501,232
			130,926,011	–	113,501,232

17 (ए) प्रबन्ध निदेशक को रू. 75,536/- अदा किये गये एवं (गत वर्ष अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक को रू. 2649/- एवं अध्यक्ष को सहायता अनुदान से रू. 85538/- अदा किये गये)। यात्रा एवं वाहन व्यय में एवं आरएसआईसी कोष से 20070/- रूपये सम्मिलित हैं।

17 (बी) वर्ष के दौरान निगम को अनुदान के रूप में राजस्थान सरकार से भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2019, नई दिल्ली के आयोजन के लिए 111.30 लाख रू. प्राप्त हुये। निगम द्वारा कुल रू. 69.26 लाख रूपये खर्च किये जिसे प्राप्त अनुदान के विरूद्ध वही स्थापित किया गया है। (गत वर्ष आरएसआईसी ने आईआईटीएफ 2018 का आयोजन किया था जिसमें रूपये 57.07 लाख खर्च हुए जिसे 68.38 लाख रूपये की प्राप्त अनुदान के विरूद्ध वही स्थापित किया गया)

	नोट-18 अतिरिक्तत प्रावधान/खुदरा शेष वापिस लिया	188562/-	पूर्व वर्ष	8,69,844/-

अतिरिक्त प्रावधान मदों में वापिस ली गई राशि 188562 रूपये (गत वर्ष 869844 रूपये) वर्ष 2018-19 के 153492 रू. का अतिरिक्त वेतन प्रावधान को वापिस लिया।

	नोट-19 पूर्व अवधि मद	31 मार्च 2020 को रू.		31 मार्च 2019 को रू.	
	पिछले वर्ष से संबंधित व्यय	1,645,125		1,030,922	
	घटाईये : पिछले वर्ष से संबंधित आय	53,866	1,591,259	3,226,310	(2,195,388)
			1,591,259		(2,195,388)

पूर्व अवधि मदों से 1591259/- रूपये की लाभ में कमी आई है। (गत वर्ष का घाटा कम हुआ रू. 2195388/-)। वर्ष 2018-19 में कम्पनी द्वारा जयपुर हस्त शिल्प उत्सव-2018 का आयोजन किया एवं 14.15 लाख रूपये को लाईसेंस शुल्क के मद में जेडीए, नगर निगम, कॉनफेड, निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, एवं आरएसडीसी को आवंटित कांउटर/स्थान के एवज में प्राप्त होना दर्शाया गया है। परन्तु इस राशि का उनके द्वारा पुष्टीकरण नहीं किया गया है। कम्पनी द्वारा बकाया राशि की वसूली के प्रयास किये गये परन्तु वसूली नहीं हो सकी। उपरोक्त अनुसार अब यह राशि वसूल न होने योग्य हो गई है अत: इसे वापिस ले लिया गया है एवं पूर्व वर्षों के व्यय में दर्शाया गया है।

	नोट-20 असाधारण आइटम	31 मार्च 2020 को रू.		31 मार्च 2019 को रू.	
	स्थायी सम्पत्तियों के विक्रय से लाभ	215,768	215,768	70,666	1,198,567
	जोडिये : अचल संपत्तियों की प्राप्ति (नोट सं. 20 (ए)	-		1,127,901	
			215,768		1,198,567

20 (ए) वर्ष 2019-20 के दौरान डीआरडीसी जयपुर एवं राजस्थली उदयपुर की अचल सम्पत्तियों का निस्तारण किया गया। प्राप्त राशि 234297/- रूपये एवं हासिल मूल्य 5 18529/-

	नोट–21 प्रति अंश आय अर्जन (ईपीएस)	31 मार्च 2020 को रू.		31 मार्च 2019 को रू.	
1)	कर के पश्चात् शुद्ध लाभ/हानि के विवरणों के कथनानुसार सामान्य अंशधारकों का		3,555,927		(9,697,841)
2)	अंशों की भारित औसत संख्या		696,403		696,403
3)	प्रति अंश बुनियादी और शुद्ध आय		5.11		(13.93)
4)	अंकित मूल्य प्रति साधारण अंश		100.00		100.00

नोट 22 संबंधित पार्टी प्रकटन

ए – कम्पनी के नियंत्रण के साथ संबंधित पार्टी की सूची : शून्य

बी – संबंधित पार्टी का नाम व उससे संबंध जिससे लेनदेन हुआ

संबंधित पार्टी का नाम	संबंध	राशि रूपये में	भुगतान की प्रकृति
श्री गिरीराज सिंह, आईएएस	प्रबन्ध निदेशक	15,960	वेतन एवं भत्ते
श्री सुबोध अग्रवाल, आईएएस	अध्यक्ष		
श्री आलोक, आईएएस	अध्यक्ष	32,387	वेतन एवं भत्ते
श्री के.के. पाठक, आईएएस	निदेशक		
श्री अम्बरीश कुमार, आईएएस	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	795,426	वेतन एवं भत्ते
श्री गौरव गोयल, आईएएस	निदेशक		
श्री आशुतोष एटी पेडनेकर	निदेशक		
श्रीमती शकुन्तला सिंह, आईएएस	प्रबन्ध निदेशक	1,085,195	वेतन एवं भत्ते
श्रीमती उर्मिला राजोरिया, आईएएस	निदेशक		
श्री मुक्तामनंद अग्रवाल, आईएएस	प्रबन्ध निदेशक		
श्री अजय असवाल	निदेशक		
श्री पी. के. जैन	कम्पनी सचिव	4,65,159	वेतन एवं भत्ते
श्री दिनेश सेठी	विशेषाधिकारी	1,870,340	वेतन एवं भत्ते

अंकेक्षण रिपोर्ट
हमारे इसी दिनांक के प्रतिवेदन के क्रम में
वास्ते बाफना एण्ड ऐसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाण्टेन्टस
एफआरएन : 001408सी

डा. आकाश आल्हा	पी.के. जैन	डॉ. समित शर्मा	अर्चना सिंह	सिद्धार्थ बाफना
मुख्य लेखाधिकारी	कम्पनी सचिव	प्रबन्ध निदेशक	निदेशक	भागीदार
		डीआईएन 03494438	डीआईएन 06785834	एम.नं. 405227

स्थान: जयपुर
दिनांक: 26.10.2020

लेखा मानक – 17 के दिशा सिद्धान्त पर आधारित वृत्त खण्ड : निगम प्रारम्भिक खण्ड

हस्तशिल्प

निर्यात संवर्द्धन सेवायें

वितरण एवं विपणन एम.एस.एम.ई. उत्पाद

राजस्व और व्यय विभागीय लेखों से परिचालन कार्य कलापों पर आधारित है। राजस्व एवं समस्त व्यवसाय से संबंधित है एवं उचित विभागीय आधार नहीं होने के कारण इन्हें अदृश्य व्यय के मद में सम्मिलित किया गया है। परिसम्पद एवं दायित्व पूरे व्यवसाय से संबंधित है और विभागीय विभाजन आधार नहीं होने से परिसम्पद दायित्वव के अन्त र्गत लिया गया है।

(राशि लाखों में)

विवरण	हस्तशिल्प		ईआईएस		एमएसएमई उत्पाद का वितरण और विपणन		अन्य		योग	
	2018–19	2019–20	2018–19	2019–20	2018–19	2019–20	2018–19	2019–20	2018–19	2019–20
ब्रिकी एवं सेवा	363.58	340.33	1246.63	1316.45	8128.16	394.27			9738.37	2051.05
कुल राजस्व	365.91	341.76	1252.96	1321.87	8139.80	400.38	312.62	293.02	10071.94	2357.03
खण्ड परिणाम	22.59	76.81	157.7	52.49	51.88	–4.53	0	0	232.17	124.77
प्राप्त ब्याज	0.74	0.83	0.13	0.1	6.78	4.54	145.82	93.38	153.47	98.85
शुद्ध अविनिधानीय							–329.15	–73.84	–329.15	–89.21
आय/व्यय										
शुद्ध हानि/लाभ									–96.98	35.56
वर्तमान कर के लिए प्रावधान									0	0
कर पश्चात् लाभ/हानि									–96.98	35.56
अविनिधानीय संपत्ति	584.58	580.4	666.28	721.54	136.22	213.02	2901.35	2302.07	4288.43	3817.03
अविनिधानीय दायित्व	490.24	534.25	1271.37	1300.22	1120.37	1102.34	1406.45	880.22	4288.43	3817.03
पूंजीगत व्यय	6.15	0.49	0.38	58.97	–	0	2.89	0.51	9.42	59.97
ह्रास	13.57	12.31	10.95	17.7	0.01	0	25.38	22.65	49.91	52.66

नोट : यहां बिक्री एवं राजस्व अन्तर अविनिधानीय नहीं हैं।

दि राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड
(राजस्थान सरकार का उपक्रम)
जयपुर
31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए एकीकृत रोकड प्रवाह विवरण

(अप्रत्यक्ष विधि)

विवरण	31 मार्च 2020 के आंकडे (रू.)		31 मार्च 2019 के आंकडे (रू.)	
ए. परिचालन कार्यकलाप से नगदी प्रवाह				
कर पूर्व शुद्ध हानि/लाभ एवं विशेषपद		3,678,443		-9,697,841
समायोजन हेतु :				
प्रावधान	-3,568,226		3,710,386	
ह्रास	5,265,848		4,991,023	
स्थाई सम्पत्तियों के विक्रय से हानि/निष्क्रिय सम्पत्तियां	0		1,127,901	
स्थाई सम्पत्तियों के विक्रय से लाभ	-215,768		-70,666	
प्राप्त ब्याज	-9,884,283		15,347,051	
प्राप्त लाभांश	-29,565		-15,514	
ब्याज भुगतान	3,114,253		3,242,830	
		-5,317,741		28,333,011
कार्य पूंजी परिवर्तन पूर्व परिचालन लाभ		-1,639,298		18,635,169
कार्य पूंजी का समायोजन:				
परिसम्पद में वृद्धि/कमी	1,069,507		47,596,997	
व्यापार प्राप्तियां में वृद्धि/कमी	-264,289		-1,268,246	
लघु ऋण एवं अग्रिम में वृद्धि/कमी	1,092,575		-2,443,547	
अन्य चल सम्पत्तियों में वृद्धि/कमी	3,696,131		5,666,344	
देय व्यापार वृद्धि/कमी	239,861		-87,572,882	
अन्य चल दायित्वों में वृद्धि/कमी	3,124,438		-215,278,767	
लघु अवधि प्रावधान	-11,368,530	-2,410,307	-12,852,862	-266,152,963
परिचालन से शुद्ध नगदी प्रवाह		-4,049,606		-247,417,794
घटाईये : पूर्व वर्ष का कर व्यय	-122,516			
परिचालन कार्यकलाप से शुद्ध नगदी प्रवाह(ए)		-4,172,122		-247,417,794
बी. निवेश गतिविधियों से नगदी प्रवाह				
प्राप्त ब्याज	9,884,283		-15,347,051	
प्राप्त लाभांश	29,565		15,514	
स्थाई सम्पत्तियों के क्रय (अनुदान से की गई, क्रय के अतिरिक्ति)	-3,147,671		-942,462	

स्थाई सम्पत्तियों के विक्रय	45,829,918		-973,062	
अनुदान से क्रय की गई सम्पत्तियों में कमी	-45,595,621		0	
दीर्घ अवधि के ऋण व अग्रिम में वृद्धि	202,500		-14,505	
		7,202,974		-17,261,566
निवेश गतिविधियों से शुद्ध नगदी प्रवाह		3,030,853		-26,779,360
सी. वित्त गतिविधियों से नगदी प्रवाह				
ब्याज का भुगतान	-3,114,253		-3,242,830	
दीर्घ अवधि ऋण	2,263,661		2,267,080	
दीर्घकालिक लिया गया ऋण का पुनर्भुगतान	1,779,901		-1,126,107	
		929,309		-2,101,857
वित्त गतिविधियों से शुद्ध नगदी प्रवाह		3,960,162		-266,881,216
नकद और नकद समकक्ष में शुद्ध वृद्धि एवं अन्य बैंक शेष				
नगद एवं नगद समकक्ष में प्रारम्भिक शेष	69,974,471		324,327,510	
90 दिनों से अधिक समय तक एफडीआर का प्रारम्भिक शेष	80,268,823		93,144,468	
12 महिने से अधिक एफडीआर के प्रारम्भिक शेष	0		923,424	
एफडीआर पर अर्जित ब्याज का प्रारम्भिक शेष	1,270,890	151,514,184		418,395,402
90 दिवस तक की एफडीआर नगद एवं नगद समकक्ष में सम्मिलित	83,943,357		69,974,471	
90 दिन से अधिक एफडीआर	69,761,898		80,268,823	
12 महिने से अधिक एफडीआर	398,254		0	
एफडीआर पर अर्जित ब्याज	1,370,837	155,474,346	1,270,890	151,514,184
अंतिम बकाया	155,474,346	155,474,346	151,514,184	151,514,185

अंकेक्षण रिर्पोट

हमारे इसी दिनांक के प्रतिवेदन के क्रम में

वास्ते बाफना एण्ड ऐसोसिएट्स

चार्टर्ड एकाण्टेन्टस

एफआरएन : 001408सी

डा. आकाश आल्हा — मुख्य लेखाधिकारी

पी.के. जैन — कम्पनी सचिव

डॉ. समित शर्मा — प्रबन्ध निदेशक, डीआईएन 03494438

अर्चना सिंह — निदेशक, डीआईएन 06785834

सिद्धार्थ बाफना — भागीदार, एम.नं. 405227

स्थान: जयपुर

दिनांक: 26.10.2020

दी राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड
जयपुर

परिशिष्ट ''ए''

अनुदान सहायता एवं प्राप्ति के व्यय शुल्क का विवरण

विवरण	31 मार्च 2020 तक के आंकड़े (रू.)	31 मार्च 2019 तक के आंकड़े (रू.)
व्यय		
प्रदर्शनी आयोजन व्यय (आईआईटीएफ 2018-2019)	6,925,959	5,706,804
अध्यक्ष व्यय		1,821,509
योग	6,925,959	7,528,313

अंकेक्षण रिपोर्ट
हमारे इसी दिनांक के प्रतिवेदन के क्रम में
वास्ते बाफना एण्ड ऐसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाण्टेन्टस
एफआरएन : 001408सी

डा. आकाश आल्हा
मुख्य लेखाधिकारी

पी.के. जैन
कम्पनी सचिव

डॉ. समित शर्मा
प्रबन्ध निदेशक
डीआईएन 03494438

अर्चना सिंह
निदेशक
डीआईएन 06785834

सिद्धार्थ बाफना
भागीदार
एम.नं. 405227

स्थान: जयपुर
दिनांक: 26.10.2020

दी राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड
(राजस्थान सरकार का उपक्रम)
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर
इकाई विपणन प्रकोष्ठ

परिशिष्ट-बी

एमएसएमई की सूची जिन्हें 31.3.2020 तक 45 दिनों की अवधि के बाद भुगतान किया गया

क्र.सं.	आपूर्तिकर्त्ता का नाम	पैन नं.	देय राशि	देय राशि की दिनांक निर्दिष्ट करें	दिवसों की संख्या
1.	मैसर्स ए.के. एंटरप्राईजेज, जयपुर	एएएचएफए7933आर	6033740	30.11.17	1034
2.	मैसर्स एशियन सेल्स	एडीआरपीके5560बी	6278003	30.08.18	761
3.	मैसर्स गरिमा स्टील	एसीयूपीवॉय3318आई	3066715	31.12.17	1003
4.	मैसर्स खण्डेलवाल एंटरप्राईजेज, जयपुर	एडीजेडपीके9697एफ	2525415	31.12.17	1003
5.	मैसर्स महादेव एंटरप्राईजेज, जयपुर	एटीजेडपीवी3487सी	3255987	31.12.17	1003
6.	मैसर्स मोहन ऑयरन वर्क्स , अलवर	एएबीएफएम8957बी	4497249	31.12.17	1003
7.	मैसर्स एस.आर.के. सोलनगिरी फर्नीचर कं.	एएआईपीएम7265आर	2159472	31.12.17	1003
8.	मैसर्स एस.एस. एंटरप्राईजेज, जयपुर	एबीएक्सपीएस4083के	2486389	31.12.17	1003
9.	मैसर्स कर्नावट टरपो जयपुर	एएफसीपीके6032पी	39922	31.03.20	
10.	मैसर्स कर्नावट टरपो जयपुर	एएफसीपीके6032पी	89846	पूर्व का	
11.	मैसर्स एवन प्लास्टिक	लागू नहीं	146395	पूर्व का	
12.	मैसर्स दयाल फाउण्डरी एण्ड प्लास्टिक वर्क्स, उदयपुर	एबीक्यूपीके9141बी	169565	पूर्व का	
13.	मैसर्स मेहता प्लास्ट कॉरपोरेशन	एएसीएचएम3508डी	295922	पूर्व का	
14.	मैसर्स पद्मावती पॉलीमर्स, उदयपुर	एएजीएफपी5925पी	127649	पूर्व का	
15.	मैसर्स रवि इंटरनेशनल, जयपुर	एसीबीपीके5569पी	951558	पूर्व का	
16.	मैसर्स एस आर के मॉड्यूलर फर्नीचर्स कं. जयपुर	एएआईपीएम7265आर	390999	पूर्व का	
17.	मैसर्स वेस्टर्न इण्डस्ट्रीज, जोधपुर	एडीबीपीएस0070क्यू	117285	पूर्व का	
18.	मैसर्स आर.के. इण्डस्ट्रीज, जोधपुर	एडीआरपीके5557एल	165202	पूर्व का	
19.	मैसर्स गोविन्द एंटरप्राईजेज	एसीएनपीक्यू53332एल	52,764	पूर्व का	
20.	मैसर्स हिन्द सेफ कम्पनी जयपुर	एजीजेडपीके4482डी	4,274	पूर्व का	
21.	मैसर्स केसी एण्ड कम्पनी जोधपुर	एडीएसपीएस9565एम	6,773	पूर्व का	
22.	मैसर्स केसी एण्ड सन्स् जोधपुर	बीएलईपीएस2097डी	81,826	पूर्व का	
23.	मैसर्स नावल्टी मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी जयपुर	एएडीएफएन6373एन	9,782	पूर्व का	
24.	मैसर्स पारस पोलीफेब	एएक्यूएचएस1722के	92,662	पूर्व का	
25.	मैसर्स श्रीनाथ इण्डस्ट्रिज, जयपुर	एएएमएचए0953एल	73,945	पूर्व का	
	कुल राशि		33,119,339		

नोट : 1. क्र.सं. 1 से 8 की उपरोक्त इकाईयों (8 एमएसएमई इकाईयां) को जारी भुगतान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर, राजस्थान सरकार में अवमानक माल की आपूर्ति हेतु अन्वेषणाधीन है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एंव आरएसआईसी के निदेशक मण्डल के निर्देशानुसार भुगतान रोक दिया गया।

आरएसआईसी लेखांकन नीति के अनुसार, लेनदारों को भुगतान देय हो जाता है जब सामान वास्तविक रूप से क्रय आदेश के अनुसार कर दिया जाता है और आरएसआईसी द्वारा रसीद प्रदान कर दी जाती है। क्रय बिल खातों में दर्ज कर दिया जाता है, लेकिन भुगतान केवल तब ही देय होता है जब ऊपरवर्णित स्थिति की पूर्ति हो। इन आधारों पर कंपनी ने एमएसएमई लेनदारों को प्रकटीकरण ऐसे लेनदारों में नहीं किया है जिनके लिए देय तिथि से 45 दिनों से अधिक भुगतान में देरी हो रही है। क्योंकि यह देय नहीं है।

दी राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड
(राजस्थान सरकार का उपक्रम)
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

इकाई - विपणन प्रकोष्ठ

परिशिष्ट-सी

एमएसएमई की सूची जिनका कम्पनी में 31.03.2020 तक 30 दिन से अधिक समय तक देय 1.00 लाख का भुगतान लम्बित रहा

क्र.सं.	आपूर्तिकर्त्ता का नाम	राशि	देय राशि की दिनांक निर्दिष्ट करें
1.	मैसर्स ए.के. एंटरप्राईजेज, जयपुर	6033740	30.11.17
2.	मैसर्स एशियन सेल्स	6278003	30.8.18
3.	मैसर्स गरिमा स्टील	3066715	31.12.17
4.	मैसर्स खण्डेलवाल एंटरप्राईजेज जयपुर	2525415	31.12.17
5.	मैसर्स महादेव एंटरप्राईजेज जयपुर	3255987	31.12.17
6.	मैसर्स मोहन ऑयरन वर्क्स अलवर	4497249	31.12.17
7.	मैसर्स एसआरके सोलनगिरी कं.	2159472	31.12.17
8.	मैसर्स एस.एस. एंटरप्राईजेज जयपुर	2486389	31.12.17
9.	मैसर्स कर्नावट टरपो जयपुर	129768	31.03.20
10.	मैसर्स ऐवन प्लास्टिक	146395	पूर्व के
11.	मैसर्स दयाल फाउंडरी एण्डट प्लास्टिक वर्क्स उदयपुर	169565	पूर्व के
12.	मैसर्स मेहता प्लासिट कॉरपोरेशन	295922	पूर्व के
13.	मैसर्स पद्मावती पोलीमर्स उदयपुर	127649	पूर्व के
14.	मैसर्स रवि इंटरनेशनल जयपुर	951558	पूर्व के
15.	मैसर्स एस आर के मॉड्यूलर फर्नीचर कम्पनी जयपुर	390999	पूर्व के
16.	मैसर्स वेस्टर्न इण्डस्ट्रीज जोधपुर	117285	पूर्व के
17.	मैसर्स आर.के. इण्डस्ट्रीज जोधपुर	165202	पूर्व के
	योग	32797313	

नोट :-क्र.सं. 1 से 8 की उपरोक्त इकाईयों (8 एमएसएमई इकाईयां) को जारी भुगतान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर, राजस्थान सरकार में अवमानक माल की आपूर्ति के संदर्भ में अन्वेषणाधीन है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एंव निदेशक मण्डल के निर्देशानुसार भुगतान रोक दिया गया।

दी राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड
(राजस्थान सरकार का उपक्रम)
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

वित्तय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 का व्यापार लाभ व हानि का इकाईवार तुलनात्मक विवरण

(आंकड़े लाखों में)

	इकाई का नाम	कारोबार						लाभ एवं हानि के बाद विनियोग	
		2018-19			2019-20				
		निगम बिक्री, कमीशन, लाईसेंस फीस	कनसाईनमेंट बिक्री	कुल	निगम बिक्री, कमीशन, लाईसेंस फीस	कनसाईनमेंट बिक्री	कुल	2018-19	2019-20
	ए. हस्तशिल्प								
1.	राजस्थली नई दिल्ली	120.34	219.02	339.36	140.04	275.97	416.01	51.21	69.75
2.	राजस्थली कोलकाता	67.87	71.21	139.08	60.49	79.35	139.84	3.74	6.11
3.	राजस्थली जयपुर	158.83	139.76	298.59	133.25	101.17	234.42	(21.62)	(2.00)
4.	राजस्थली उदयपुर	16.44	10.45	26.89	6.53	6.02	12.55	(7.66)	2.96
5.	डी.डी.आर.सी. जयपुर							(3.08)	(0.02)
	योग (ए)	363.48	440.44	803.92	340.31	462.51	802.82	22.59	76.80
	बी. ई.आई.एस.								
6.	एयर कार्गो, सांगानेर	320.49	0	320.49	184.63	0	184.63	201.51	93.11
7.	आई.सी.डी. सांगानेर		0	0.00	202.61	0	202.61	(27.39)	(7.71)
8.	आई.सी.डी. जोधपुर	926.23	0	926.23	929.22	0	929.22	15.08	(2.72)
9.	आई.सी.डी. भिवाडी	0	0	0.00	0	0	0.00	(24.63)	(22.88)
10.	आई.सी.डी. भीलवाडा	0	0	0.00	0	0	0.00	(6.87)	(7.30)
	आईआईसीडी भिवाड़ी के वर्ष 2001-17 के लिए लीज रेंट एवं इस पर ब्याज़ के अतिरिक्त प्रावधान को वापिस लिखा								-
	योग (बी)	1246.72	0	1246.72	1316.46	0	1316.46	157.70	52.50
	सी. वितरण / विपणन								
	(ए) कच्चा माल	7218.06	0	7218.06	12.03	0	12.03	25.33	(9.75)
	(बी) विपणन शाखा	910.1		910.1	382.25		382.25	26.55	5.22
	योग (सी)	8128.16	-	8128.16	394.28	0	394.28	51.88	(4.53)
	डी. मुख्यालय (व्यय-आय) आईआईटीएफ एवं जोधपुर प्रदर्शनी सहित							(329.15)	(89.21)
	योग (डी)								
	कुल योग (ए+ बी+ सी+ डी)	9738.36	440.44	10,178.80	2051.05	462.51	2,513.56	(96.98)	35.56

संख्या /No. सी.ए.डब्ल्यू.।/वा.ले./आरएसआईसी/2019-20/के-24/प्रे-1167

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II) राजस्थान
जनपथ, जयपुर-302 005

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL(AUDIT-II) RAJASHTAN
JANPATH, JAIPUR-302 005

दिनांक / Date : 04-12-2020

प्रबन्ध निदेशक,
दी राजस्थान स्माल इण्डस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
उद्योग भवन, तिलक मार्ग,
जयपुर 302005

विषय : दी राजस्थान स्माल इण्डस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर के 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणी।

महोदय,

मुझे कम्पनी अधिनियम की धारा 143(6) के अन्तर्गत कम्पनी की वार्षिक साधारण सभा में प्रस्तुत करने हेतू 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए दि राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड, जयपुर के वित्तीय विवरणों पर कम्पनी अधिनियम की धारा 143(6)(b) के अधीन शून्य टिप्पणी प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश प्राप्त हुआ है।

उपरोक्त अवधि के वित्तीय विवरणों एवं लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की सात प्रतियां जैसी कि साधारण सभा में रखी जावें तथा स्वीकृत की जावें, कृपया इस कार्यक्रम को शीघ्र भिजवाने का श्रम करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

भवदीय,

उपमहालेखाकार
(आर्थिक क्षेत्र लेखा परीक्षा-ा)

Phone : 0141-2385431-39 Fax.: 91-0141-2385230 E-mail : agauRajasthan2@cag.ov.in

COMMENTS OF COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6) (B) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENT OF RAJASTHAN SMALL INDUSTRIES CORPORATION LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2020.

The preparation of financial statement of Rajasthan Small Industries Corporation Limited for the year ended 31 March 2020 in accordance with the financial reporting framework Prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) (b) of the Act are responsible for expressing opinion on the financial statement under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing Prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 26 October 2020.

I, on behalf of the Comptroller and Audit General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of Rajasthan Small Industries Corporation Limited for the Year ended 31 March 2020 under section 143(6) (a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

On the basis of my supplementary audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to statutory auditors' report under section 143(6)(b) of the Act.

For and on behalf of
the Comptroller and Auditor General of India

(Atoorva Sinha)
Accountant General (Audit-II)
Rajasthan, Jaipur

Place :- Jaipur
Date :- 04.12.2020

फार्म सं. एमजीटी–11

प्रतिपूर्ति फार्म

(कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 105 (6) तथा कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 19(3) के अनुसार

सीआईएन	:	यू 91110 आर जे 1961एसजीसी 001118
कम्पनी का नाम	:	दि राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय	:	उद्योग भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर–302005

सदस्य का नाम	:	
पंजीकृत पता	:	
ई–मेल आईडी	:	
फोल्यो सं. /ग्राहक आईडी	:	
डीपीआईडी	:	

मैं/हम उपरोक्त कम्पनी के सदस्य है तथा .... अंशधारित करते है, एतद् नियुक्त करते हैं:–

1. नाम... पता ....ई–मेल आईडी .... हस्ताक्षर .... या इनकी अनुपस्थिति पर

2. नाम... पता ....ई–मेल आईडी .... हस्ताक्षर .... या इनकी अनुपस्थिति पर

मेरे/हमारे प्रतिपूर्ति के रूप में, कम्पनी के .... को .... बजे आयोजित 59वीं वार्षिक साधारण सभा में तथा उसके किसी स्थगन पर, मेरे/हमारे स्थान पर उपस्थित होने एवं मेरे/हमारे स्थान पर मत देने (मतदान की अवस्था में) के लिए, नीचे दर्शाये प्रस्तावों के संबंध में:

उपस्थिति पंजिका

1.	उपस्थित होने वाले सदस्य का नाम (बड़े अक्षरों में)	
2.	पंजीकृत फोल्यो नम्बर	
3.	प्रतिपूर्ति का नाम (बड़े अक्षरों में) (उसी अवस्था में भरा जाय जब सदस्य के स्थान पर प्रतिपूर्ति उपस्थित हो रहा हो)	

धारित अंशों की संख्या ....

मैं कम्पनी की 59बी वार्षिक आम सभा जो उघोग भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर पर शुक्रवार, 27 नबम्बर 2020 को मध्यान्ह पूर्व 11.30 बजे हो रही है, में उपस्थिति दर्ज करा रहा हूँ।

सदस्य/प्रतिपूर्ति के हस्ताक्षर

नोट: कृपया उपस्थिति पंजिका को भरें तथा सभाकक्ष के प्रवेश द्वार पर दें। सदस्यों से निवेदन है कि अपनी वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति साथ लेकर आवें।

---

* सदस्य/प्रतिपूर्ति जो सभा में उपस्थित होना चाहते है। सभा में आने से पूर्व इस उपस्थिति पंजिका को भरें तथा प्रवेश द्वार पर देवें।
* यदि आप प्रतिपूर्ति नियुक्त करना चाहते हैं, कृपया प्रोक्सी फार्म फार्म सं. एमजीटी–11 भरें तथा कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में सभा से 48 घंटे पूर्व जमा करायें।

दि राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लि.

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

पंजीकृत कार्यालय : उद्योग भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर–302005
फोन : 0141–2227079 फैक्स : 0141–2227257
वेब साइट : www.industries.rajasthan.gov.in/rajsico, E-mail : rajsico@rajasthan.gov.in
CIN : U91110RJ1961SGC001118

उपस्थिति पर्ची

कृपया उपस्थिति पर्ची को भरें तथा इसे बैठक स्थल के प्रवेश द्वार पर दें।

डीपी आईडी *			फोलियो नम्बर	
सदस्य की आईडी *			धारित अंशों की संख्या	

- मैं सत्यापित करता हूं कि मैं कम्पनी का एक सदस्य/सदस्य का प्रतिपूर्ति हूं।
- मैं आरएसआईसी लिमिटेड की 59वीं वार्षिक आम सभा जो .... 2020 को

.... को .... जयुपर पर आयोजित हो रही है, में उपस्थिति दर्ज करा रहा हूं।

सदस्य/प्रतिपूर्ति का नाम (बड़े अक्षरों में) **सदस्य/प्रतिपूर्ति के हस्ताक्षर**

* निवेशक जो इलेक्ट्रोनिक व्यवस्था में अंशधारक है पर प्रभावी